प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो / आशा योजना / 2022–23 / 58 / 1455 दिनांकः 22.05.2023

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023–24 हेतु आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं–

1. **आशा प्रतिपूर्ति राशि–** आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। प्रतिपूर्ति राशियों में ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें आषा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करेगी। जिसकी सहायता से आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलेगी एवं आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

आशाओं को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 2000 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार चिन्हित गतिविधियों हेतु अनुमन्य है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

क्र. सं.	एफ.एम. आर. कोड	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह (रू0 में)
1	HSS.3.159. ASHA.1	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
		ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर	150
		आशाओं को सी.एच.सी. / पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
		वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची तैयार (प्रति माह लाइन लिस्टिंग) करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पर	300
		ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने हेतु सहायता करने पर	300
		टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
		ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
		योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			**2000**

1.1 नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि हेतु दिशा–निर्देश–

- **वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची तैयार / ग्राम सर्वे (प्रतिमाह लाइन लिस्टिंग) करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पर–** उक्त मद के अंर्तगत ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग को **प्रत्येक माह** अद्यतन करना होगा। पंजिका में विशिष्ट परिवारों की संख्या का अंकन अवश्य किया जाय जिससे

परिवारों की गणना करने व नियोजन में सहायता होगी। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। गृह भ्रमण के दौरान उन परिवारों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है, जिनमें दो वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे/चिन्हित कुपोषित बच्चे/गर्भवती महिला आदि हों। इस कार्य हेतु आशा को रू0 300 प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त आशा को प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके पंजिका के ग्राम सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होगी।

- **ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर–** आशा को अपने ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को मासिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु की सूचना अभिलेखीकृत करेगी। इस हेतु आशा अपने क्षेत्र में होने वाले समस्त जन्म–मृत्यु की सूचना क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (ग्राम पंचायत अधिकारी) को उपलब्ध करायेगी, साथ ही अपने गृह भ्रमण के दौरान इस बात की सूचना एकत्रित करेगी कि सम्बन्धित परिवार को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। उक्त सूचना वी0एच0आई0आर0 में भी अंकित की जायेगी। इस कार्य हेतु आशा को **रू0 300 प्रतिमाह** की प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। **आशाओं द्वारा वी0एच0आई0आर0 में अंकित की गयी सूचनाओं को ई–कवच पोर्टल पर अंकित/अद्यतन किये जाने के उपरान्त ही प्रतिपूर्ति राशि देय होगी है।**
- **टीकाकरण एवं अन्य सेवाओं हेतु ड्यू लिस्ट बनाने एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** पंजिका में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों जैसे–टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरों हेतु टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच एवं प्रसव योजना बनाने, 15–49 वर्ष की विवाहित महिलाएं जो बच्चे नहीं चाहती हो उनका परिवार नियोजन परामर्श एवं साधन उपलब्ध कराने, कुपोषित बच्चे जिनकी जाँच व सन्दर्भन किया जाना है, की मासिक सूची तैयार करनी है। जिससे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन लक्षित समूहों को सेवाओं से आच्छादित किया जा सके। आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण प्रकार से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हिकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय–समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट हेतु अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ए0एन0एम0 द्वारा उक्त मद का सत्यापन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ड्यू लिस्ट में कम से कम 75 प्रतिशत अपेक्षित लाभार्थियों के नाम हों। इस हेतु आशाओं को प्रतिमाह **रू0 300 प्रोत्साहन** धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- **ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। आशाओं से अपेक्षा है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर, न्यूनतम 4 प्रसवपूर्व जॉचें करवायें, संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करें एवं प्रसव पश्चात देखभाल करें जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। पंजिका के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं से सर्म्पक कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हिकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण एवं विवरण ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है। उक्त के आधार पर ए0एन0एम0 द्वारा आर0सी0एच0 पोर्टल पर भी अंकन में सहायता होगी। इस हेतु आशाओं को प्रतिमाह **रू0 300 प्रोत्साहन** धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- **योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर–** आशा अपने ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पत्तियों के विवरण से सम्बन्धित है, में क्षेत्र में रहने वाले समस्त योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। आशा द्वारा क्षेत्र में परिवार नियोजन के लाभार्थियों का प्रतिमाह फॉलो–अप किया जाय एवं नवीन लाभार्थियों को भी चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य हेतु **रू0 300 प्रतिमाह** प्रावधानित किया गया है।

नोट–आशा संगिनी अपने मासिक भ्रमण के दौरान उपरोक्त पाँच बिन्दुओं के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का परीक्षण करेगी एवं अपनी आख्या में अंकित करेगी।

- **ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने–** आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रू0 200 प्रतिमाह प्राविधानित किया गया है। यदि आशा के कार्यक्षेत्र में एक से अधिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों

का आयोजन किया जाता है एवं आशा द्वारा माह में एक से अधिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किया जाता है, तो भी आशा को **रू0 200/– प्रतिमाह** की धनराशि ही देय होगी।

- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक के आयोजन में सहयोग करने हेतु**– ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक आयोजित किये जाने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदस्य सचिव आशा बैठक से पूर्व समस्त सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी एवं दूरभास के माध्यम से भी एक दिन पूर्व अवगत करायेगी तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण से सम्बन्धित मुद्दों को समिति के समक्ष चर्चा करने हेतु प्रस्तुत करेगी।

यह सम्भव है कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत एक से अधिक आशायें कार्यरत हों, इस स्थिति में आशा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु सूचित करेगी। समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जायेगी व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत आने वाली समस्त आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर **रू0 150** दिया जायेगा।

यदि आशा से सम्बन्धित उपकेन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किया जा चुका है तो बैठक से पूर्व एवं पश्चात बैठक की सूचना सम्बन्धित कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर (सी0एच0ओ0) को भी उपलब्ध करायेगी।

- **आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु**– आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण, कार्यक्षमता में वृद्धि, आशा भुगतान, आशा शिकायत आदि बिन्दुओं की समीक्षा के लिए प्रतिमाह आशा मासिक क्लस्टर बैठक किया जाना है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रू0 150/– प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किया जायगा।

नोट–यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में आशा को भुगतान किया जायेगा। **उदाहरण–यदि किसी कारणवश आशा के क्षेत्र में वी0एच0एस0एन0सी0 की बैठक नहीं हो पाती है एवं आशा द्वारा अन्य गतिविधियाँ की गयी हैं तो उस दशा में वी0एच0एस0एन0सी0 की बैठक के आयोजन मे सहयोग करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 150 का भुगतान नहीं किया जायेगा।**

आशा क्लस्टर बैठक क्षमतावर्द्धन सत्र – आशा क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन सत्र का आयोजन पूर्व में भेजे गये दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/93/2478–75 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जायेगा। **बैठक में प्रत्येक माह आशा को क्लस्टर बैठक के क्षमतावर्द्धन सत्र में प्रतिभाग करने हेतु रू0 100/–एवं आशा संगिनी को सत्र फैसिलिटेट करने हेतु रू0 200/–की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।** ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक द्वारा प्रतिमाह अपने ब्लॉक में आयोजित होने वाली क्लस्टर बैठकों के क्षमतावर्द्धन सत्र संचालन की रिर्पोट माह की 05 तारीख तक बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस. में अपडेट किया जाएगा।

1.2 उपरोक्त के अतिरिक्त कम्यूनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा आशाओं को निम्न मदों में भी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है–

क्र. सं.	एफ.एम.आर. कोड	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0 में)
1	HSS.1.150.ASHA.1	आशा द्वारा सी–बैक फार्म भरने हेतु (प्रति फार्म)	10
2	HSS.1.150.ASHA.2	गैर संचारी रोगों (NCD) से ग्रसित रोगियों का फालोअप करने पर (प्रति लाभार्थी)	100
3	HSS.3.159.ASHA.3	हेल्थ प्रमोशन डे (HPD)	200
4	HSS.3.159.ASHA.7	ए.ए.ए.	75
5	HSS.3.159.ASHA.5	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	100
6	HSS.3.159.ASHA.6	मातृ समूह बैठक	200
7	HSS.1/HSS.1.150.OOC.5	आशा हेतु कम्यूनिकेषन कास्ट	200

- **आशा द्वारा सी–बैक फार्म भरने एवं रोगियों के फालोअप हेतु प्रतिपूर्ति राशि–(ASHA Incentive for HWC)**

इस वर्ष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशाओं को क्षेत्र में निवास कर रहे 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु प्रति फार्म रू0 10 की दर से धनराशि देय होगी। जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया गया हैं उनके द्वारा सी–बैक फॉर्म एप्लीकेशन पर भरे जायेंगे। आशा के क्षेत्र में जिन लाभार्थियों का सी–बैक फॉर्म भरा गया है, उनका सत्यापन सम्बन्धित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के लिए सी0एच0ओ0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के मुख्य केन्द्र से सम्बन्धित आशाओं के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायगा। इस हेतु सी0एच0ओ0/चिकित्साधिकारी प्रति आशा क्षेत्र के लाभार्थियों की गणना कर रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर प्रेषित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फालोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100 की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50/– की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100/– तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

- **हेल्थ प्रमोशन डे –**

हेल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने के लिए पत्रांक संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/दिशा–निर्देश/2018–19/4613–75 दिनांक–27.09.2018 के अनुसार प्रति गतिविधि में प्रति माह आशाओं को रू0 200 दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

- **ए.ए.ए. (उपकेन्द्र स्तरीय) बैठक –**

  - समुदाय स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकर्त्रियाँ यथा– ए.एन.एम., आँगनवाड़ी एवं आशाओं के मध्य आपसी समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र में कार्यरत समस्त कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी व आशा की मासिक बैठक आयोजित किया जाना है। यह बैठक उपकेन्द्र अथवा उपकेन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य किसी सार्वजनिक स्थान यथा आँगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, विद्यालय आदि पर आयोजित की जा सकती है। यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम या तृतीय बृहस्पतिवार को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक आयोजित की जानी है। उपकेन्द्र स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिमाह रू 75 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
  - ऐसे उपकेन्द्र जिन्हें हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किया जा चुका है, उन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बैठक का संचालन कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए.एन.एम. के सहयोग से किया जायेगा एवं कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर की अनुपस्थिति में बैठक का संचालन सम्बन्धित ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा। बैठक के दौरान हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु निर्धारित 15 सूचकांकों के आधार पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जायेगी एवं मासिक/वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना विकसित की जायेगी, जिससे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर कार्य आधारित टीम बेस्ड इन्सेन्टिव प्राप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सम्बन्धित निर्देशों में सम्मिलित किये गये हैं।
  - ए.ए.ए. (उपकेन्द्र स्तरीय) बैठक की मासिक कार्य योजना तैयार की जाये एवं ब्लॉक/जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाये।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –**

  - आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस **रू0 50** की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
  - आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

1.3 मातृ समूह बैठक (मात्र HPD जनपदों मे लागू) –

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव और टीकाकरण सेवाओं में वृद्धि हुयी है। कई शोधों मे यह पाया गया है कि यदि प्रसव पश्चात प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं से अधिक से अधिक सम्पर्क किया जाता है तो नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, टीकाकरण, पोषण, परिवार नियोजन से स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश मे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर मे कमी लाने के लिए मातृ बैठकों के माध्यम से माताओं को प्रसव पश्चात उचित देखभाल से सम्बन्धित जानकारी देकर उन्हे बचाया जा सकता है। आप अवगत है कि स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए समुदाय को जागरूक करने में आशा एक स्वास्थ्य प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अतः इसी तारतम्य में आशा द्वारा सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम स्तर पर प्रसव पश्चात् 1 वर्ष तक के बच्चों की माताओ का एक समूह बनाकर एक –एक माह के अन्तराल पर मातृ बैठक आयोजित की जानी है।

मातृ बैठक आयोजित किए जाने का उद्देश्य :–

- प्रसव पश्चात् मुख्य स्वास्थ्य व्यवहारो –मां एवं नवजात शिशु में खतरे के लक्षणों की पहचान, नियमित टीकाकरण, केवल स्तनपान, पोषण एवं परिवार नियोजन संबंधी सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों को माताओं में बढ़ावा दिया जा सके।
- पीयर लर्निंग के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

मातृ बैठक का संचालन :–

ग्राम स्तर पर एक आशा क्षेत्र में लगभग 10 से 15 माताएं (जिनके बच्चे जन्म से 01 वर्ष तक के होगें) मिलेगी। इस समूह की बैठक, दो माह में एक बार आशा द्वारा क्षेत्र में सुगम स्थान का चयन करते हुए आयोजित की जायेगी। जिसमें निर्धारित थीम अनुसार आशा द्वारा माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक मातृ बैठक के लिए एक थीम निर्धारित की गयी है।

मातृ बैठक निम्नानुसार निर्धारित थीम अनुसार किया जाए:–

1. प्रथम बैठक – प्रसव पश्चात् परिवार नियोजन
2. द्वितीय बैठक –नवजात एवं मां में प्रसव के बाद खतरे के लक्षणों की पहचान एवं उपचार
3. तृतीय बैठक –केवल स्तनपान
4. चतुर्थ बैठक– धात्री महिलाओं द्वारा आई.एफ.ए. एवं कैल्शियम की गोलियों का सेवन
5. पांचवी बैठक– शिशु को छः माह के बाद पूरक पोषण आहार
6. छठवीं बैठक – नियमित टीकाकरण का महत्व

बैठक के दौरान आशा द्वारा समस्त माताओं को उक्त थीम के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं, अगले 02 माह में होने वाले विशेष स्वास्थ्य दिवसों एवं प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर भी जानकारी दी जाय। आशा द्वारा मातृ बैठक के दौरान परिवार नियोजन सामग्रियों, ओ0आर0एस0 आदि का वितरण भी किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर स्थापित किये गये हैं वहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं ए0एन0एम0 द्वारा भी इन बैठकों में प्रतिभाग किया जा सकता है।

<u>मातृ बैठक हेतु वित्तीय निर्देश</u> –

मातृ समूह की बैठक आयोजित किए जाने हेतु आशा को कुल रू. 200/– प्रति बैठक हेतु प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दिया जाना है। यह धनराशि आशा को प्रत्येक मातृ समूह की बैठक सुनिश्चित करने पर देय होगी।

1.4 आशा द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर निम्नानुसार प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान किया गया है। जिसमें से मुख्य निम्नवत हैं–

क्र. सं.	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0 में)
1		**पूर्ण** प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर RCH नम्बर अंकन) के पश्चात सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	600
2		**पूर्ण** प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर RCH नम्बर अंकन) के बिना सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर।	300

3	मातृ स्वास्थ्य	छाया VHSND सत्र पर अति जोखिम गर्भवती महिला का जॉच एवं संस्थागत प्रसव करानें के साथ VHIR मे अंकन और RCH पोर्टल पर Entry करानें पर (प्रति केस)	300
4		चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला की आशा द्वारा चिकित्साइकाई पर 3 अतिरिक्त विजिट परीक्षण हेतु करने पर प्रति विजिट. PMSMA	100
5		चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोपरान्त 45 दिनों तक मॉ एवं नवजात शिशु की देखभाल ए.एन.एम. या चिकित्सक द्वारा सत्यापन उपरान्त आशा को प्रति प्रसूता. PMSMA	500
6	बाल स्वास्थ्य	गर्भवती एवं धात्री माताओं की मासिक बैठक (माह में 3 बैठक) करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली धनराशि (MAA)	100
7		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	150
8		गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत, आशा को गृह भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु	100
9		नवजात षिषु के प्रत्येक गृह भ्रमण HBYC (3, 6, 9, 12, 15) माह पूर्ण होने पर प्रति शिशु प्रति भ्रमण हेतु	50
10		AMB कार्यक्रम मे आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह	50
11		पॉच साल से कम उम्र के बच्चों वाले परिवार को IDCF के लिए प्रेरित करना	100
12		SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करनें पर (प्रति बच्चा)	50
13		SAM बच्चों को NRC से छुटटी होनें के पश्चात 4 फॉलोंअप करनें पर (प्रति बच्चा)	100
14	परिवार कल्याण	पुरूष नसबन्दी	400
15		अन्तराल एवं गर्भपात के उपरान्त महिला नसबन्दी Public Sector+COT	300
16		प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (पी0पी0एस0)	400
17		लाभार्थी को शगुन किट वितरण करनें के सम्बन्ध में प्रति किट	100
18		लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जानें एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजेक्शन (अन्तरा) लगवानें पर	100
19		दो बच्चों के पश्चात् स्थाई गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000
20		शादी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
21		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500
22		लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150
23		लाभार्थी को PAIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150
24		सास बहू बेटा सम्मेंलन मे मोबलाइज करने हेतु प्रति सम्मेंलन	100
25		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त फॉलोअप करना तथा समस्त सेवायें दिलाना (प्रति केस)	225
26		महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित करानें पर (प्रति केस)	150
27	टीकाकरण	0–1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	100
28		1–2 वर्ष के बच्चों का सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	75
29		5–6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर–2) प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा)	50
30		टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करनें हेंतु (प्रति सत्र)	150
31		पोलियों कार्यक्रम में मोबलाइज करनें हेतु (प्रतिदिन)	75
32	RKSK	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (AHWD) हेतु (प्रति दिवस) मात्र 25 HPD जनपदों मे लागू	200
33		एन0डी0डी0 अभियान मे 1–19 साल तक के बच्चों को मोबलाइज करने पर प्रति अभियान	100

34		पीयर एजुकेटर के चयन हेतु रू0 100/– प्रति पीयर एजुकेटर	100
35	राष्ट्रीय कार्यक्रम	ट्रीटमेंट सपोर्टर (डाट्स प्रोवाइडर) (नये रोगी 6–7 माह का कोर्स)	1000
36		रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि (9 से 11 माह का कोर्स)	5000
37		किसी भी संदिग्ध क्षय रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रथम संदर्भन के उपरान्त यदि क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है प्रति केस	500
38		रक्त पटि्टका बनाना (प्रति स्लाइड)	15
39		पी0एफ0 पॉजिटिव या पी0वी0 पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार करानें पर (प्रति केस)	75
40		कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250
41		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	400
42		कुष्ठ रोग की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस)	250
43		पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस)	600
44		कुष्ठ रोगी के साथ deformity के नये रोगी की पहचान (प्रति केस)	200
45		आशा द्वारा कुष्ठ रोगी के सक्रिय मामलो की पहचान एवं नियमित निगरानी ACDRS or LCDC प्रति round	1000
46		ए0इ0एस0/जे0ई0केस का नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे **प्रति केस** दी जायेगी। **मात्र 20 जनपदों**	300
47		कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव (प्रति राउन्ड रू0 100) 13 जनपदों	200
48		कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जानें के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना ;प्रति केस) मात्र 13 जनपदों)	500
49		कैंप के दौरान कालाजार/PKDL के संदिग्ध मरीजों को सूचित करने व धनात्मक पाये जाने पर प्रति केस	500
50		घर–घर भ्रमण कर मच्छरों की घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने हेतु रू0 200/– प्रति माह (कुल 5 माह हेतु)	200
51		डेंगू एवं चिकुनगुनिया के मरीजों को नजदीकी सामु0 स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस रू0 200/–प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। (कुल 5 माह हेतु)	200
52		50 घरों के नमक परीक्षण हेतु **(मात्र 24 जनपदों)**	25
53		MDA / IDA round मे दवा खिलाने एवं E-kavach पोर्टल पर feeding किये जाने पर प्रति दिन	125

*उपरोक्त प्रतिपूर्ति राशियों के भुगतान से पूर्व सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित विस्तृत दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. आशा संगिनी के द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं प्रतिपूर्ति राशि

आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग 20 आशाओं पर एक क्लस्टर बनाते हुये एक **आशा संगिनी का चयन किया गया है। आशा संगिनी,** आशा सहायता तंत्र (ASHA Support System) का **महत्वपूर्ण स्तम्भ है। आशा संगिनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं के लिए एक मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करें तथा आशा द्वारा किये जाने वाले चिन्हित कार्यों का मूल्यांकन कर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करें।**

2.1 आशा संगिनी की भूमिका एवं कार्य–

क्षेत्र भ्रमण कर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन– आशा संगिनी अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की **सक्रियता भारत सरकार द्वारा वर्णित 10 बिन्दुओं पर** निर्धारित करेगी। आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने **क्लस्टर की समस्त आशाओं के क्षेत्र का भ्रमण किया जाना चाहिए।** आशा संगिनी को जिस आशा के क्षेत्र में **भ्रमण करना है, आशा से सम्पर्क कर भ्रमण से पूर्व ही अवगत** कराना चाहिए। आशा संगिनी को अपने भ्रमण **के दौरान आशा से उसके द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं के सम्बन्ध में चर्चा** करनी चाहिए। यदि आशा **को किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा उसके कौशल में कोई कमी हो तो उसे यथा सम्भव जानकारी प्रदान करनी चाहिए एवं उसके कौशल वृद्धि** का प्रयास करना चाहिए। आशा

संगिनी द्वारा अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रतिरोधी परिवारों से सम्पर्क किया जाना चाहिए एवं उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आशा संगिनी को प्रत्येक भ्रमण में आशा की ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका का अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यकतानुसार आशा को ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका भरने में सहयोग देना चाहिए। भ्रमण के दौरान आशा संगिनी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आशा की सक्रियता का मूल्यांकन किया जायेगा–

क्र0सं0	सूचना	परिभाषा	संगिनी से अपेक्षित कार्य
1	घर में प्रसव के मामलों में जन्म के प्रथम दिन नवजात के घर का दौरा	आशा से उसके क्षेत्र में पिछले 2 महीने में घर में पैदा हुए नवजात के बारे में पूछें तथा यह भी कि उनमें से कितनों के पास जन्म के पहले दिन गई थी। उसे सक्रिय मानने के लिए उसे सभी नवजात शिशुओं के पास गया होना हुआ चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि विगत भ्रमण के बाद हुए समस्त गृह प्रसवों में आशा के साथ अवश्य किया जाना चाहिए।
2	नवजात देखभाल के लिए किये गये घर के दौरे जैसा एच0बी0एन0सी0 दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट है	इस बिन्दु पर आशा को सक्रिय दर्ज करने के लिए उससे पूछें कि क्या वह अपने क्षेत्र में पैदा हुए कुल नवजातों में से कम से कम आधे या अधिक के पास गई थी अथवा नहीं और इनमें से प्रत्येक नवजात के लिए उसने दौरे की अनुसूची का पालन किया था कि नहीं।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा एच0बी0एन0सी0 के अनुसार गृह भ्रमण किये जाने वाले किन्हीं दो घरों का भ्रमण आशा के साथ अवश्य किया जाये। यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि विगत माह जिन बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है उन बच्चों का गृह भ्रमण न किया जाये। **यदि आशा के क्षेत्र में कोई बीमार/प्रीटर्म/कम वजन के जन्में बच्चें है तो तो आशा संगिनी अपने प्रत्येक भ्रमण में उसकी स्थिति की जानकारी आशा से प्राप्त करें एवं फॉलोअप करें।**
3	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लेना/टीकाकरण को बढ़ावा देना	पूछें कि आशा ने पिछले महीने के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया अथवा नहीं। यदि उसने पिछले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लिया हो तो उसे सक्रिय आशा दर्ज करें।	वी0एच0आई0आर0 एवं ड्यू लिस्ट की मदद से आशा संगिनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आशा अपने क्षेत्र में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रही है।
4	**संस्थागत प्रसव में सहयोग**	आशा के क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के बारे में पूछें जिनके प्रसव की संभावित तिथि अगले महीने में है। आशा को केवल तभी सक्रिय दर्ज किया जायेगा जब उसने उन सभी महिलाओं के लिए प्रसव की योजना बनाई है, यदि वह किसी एक भी महिला की प्रसव की योजना बनाने में विफल रही हो तो उसे इस गतिविधि हेतु निष्क्रिय माना जायेगा।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि आशा द्वारा बनाये गये सभी महिलाओं के लिए प्रसव योजना को उनके वी0एच0आई0आर0 के सम्बन्धित भाग मे देखे।
5	**बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों, खासकर दस्त और निमोनिया का प्रबंधन**	**आशा से उसकी दवा किट में दवाओं की स्थिति के बारे में पूछें। उसके क्षेत्र में पिछले महीने के दौरान 5 वर्ष से कम आयु वाले बीमार बच्चों की संख्या के बारे में पूछना चाहिए। यदि आशा ने कम से**	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि पिछले माह बीमार बच्चों की सूची में से जिन बच्चों को आशा द्वारा उपचार हेतु सलाह दी गयी है उनमें से किसी एक घर

		कम 50 प्रतिशत या अधिक परिवारों ने अपने बच्चों की देखभाल या उपचार के लिए आशा की सलाह मांगी है तो आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।	का भ्रमण आशा के साथ करने का प्रयास करें।
6	घरों के दौरे के साथ पोषण सम्बन्धी परामर्श	घरों का दौरा करने और पोषण सम्बन्धी परामर्श देने के लिए आशा को निम्नलिखित घरों का नियमित दौरा करना चाहिए– • कमजोर एवं वंचित वर्ग • ऐसे घर जिनमें 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों • ऐसे घर जिनमें बच्चों में सामान्य स्तर का या गम्भीर कुपोषण है। आशा से पूछें कि क्या उसे अपने क्षेत्र के ऐसे परिवारों की संख्या के बारे में पता है तब उससे पूछें कि पिछले 1 माह के दौरान कम से कम एक बार क्या वह उन सबके पास गई है और उनको पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है अथवा नहीं। यदि वह ऐसे सभी परिवारों की संख्या बता देती है और कहती है कि पिछले एक माह मे उसने ऐसे सभी परिवारों के पास कम से कम एक दौरा किया है और पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया है तो आशा को सक्रिय दर्ज किया जायेगा।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिकता के आधार पर कमजोर व वंचित वर्ग के घरों में से किसी दो घरों का दौरा आशा के साथ करने का प्रयास करें। कुपोषित बच्चों की जानकारी आशा संगिनी स्थानीय आँगनवाड़ी कार्यकत्री से प्राप्त कर सकती है।
7	मलेरिया प्रभावित इलाकों में देखे गये बुखार के मामले/ बनाई गई मलेरिया स्लाइड	यदि आशा का कार्यक्षेत्र मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, तो आशा से पिछले एक महीने के दौरान बुखार के अन्तिम तीन मामलों के बारे में पूछे। उसके द्वारा ऐसे 50 प्रतिशत या अधिक मामलों में मलेरिया की स्लाइड बनायी गयी है अथवा आर डी के से जाँच की गयी हो और/या मलेरिया रोधी दवा दी गयी हो तो आशा सक्रिय समझना चाहिए।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि जिन लोगों की आशा ने मलेरिया स्लाइड बनायी है/ आर0डी0के0जाँच या मलेरिया रोधी दवा दी हो तो उनमें से किसी एक रोगी के घर का दौरा करने का प्रयास करें।
8	**डाट्स कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत आशा**	**यदि आशा वर्तमान में अपने क्षेत्र के नवीनतम टीबी के मरीज की जानकारी मिलने पर डाट्स कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हो तो आशा सक्रिय है।**	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह आशा से ऐसे मरीजों के बारे में पता लगाये तथा मरीज का कार्ड भी देखे। यदि मरीज द्वारा नियमित रूप से दवाई नहीं प्राप्त की जा रही हो तो मरीज को इस सम्बन्ध में प्रेरित करे एवं पी0एच0सी0 पर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करे।
9	**ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों का आयोजन करना**	**यदि पिछले एक महीने में आशा ने कम से कम एक वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक के आयोजन में सहयोग किया हो या भाग लिया है तो उसे इस कार्य में सक्रिय माना जाना चाहिए।**	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि आशा प्रतिमाह वी0एच0एस0एन0सी0 बैठकों में प्रतिभाग करे। यदि गत माह किसी कारणवश वी0एच0एस0एन0सी0 बैठक नहीं हुई है तो सम्बन्धित प्रधान से संपर्क कर नियमित बैठक हेतु प्रेरित करे।

10	आई0यू0डी0, महिला नसबन्दी, पुरूष नसबन्दी के सफल रेफरल के मामले और या खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0) / कण्डोम उपलब्ध कराना	आशा से उसके क्षेत्र में परिवार नियाजन के लिए पात्र दम्पत्तियों की संख्या के बारे में पूछे । आशा को पिछले एक महीने में एक या अधिक आई0यू0डी0 / महिला नसबन्दी / पुरूष नसबन्दी मामले को रेफर करने में सफल रही है और / या पिछले एक माह में दम्पत्तियों को खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (ओ0सी0पी0) / कण्डोम उपलब्ध कराया हो। रेफरल को तब सफल माना जायेगा जब आशा के परामर्श पर उन लोगों ने परिवार नियोजन के उपाय या साधन अपनाए हों।	आशा संगिनी से अपेक्षा की जाती है आशा के क्षेत्र में परामर्श कौशल को बढ़ाने के लिए क्षमता वृद्धि करे एवं वी0एच0आई0आर0 से सम्बन्धित भागों का अवलोकन करे।

2.2 आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि–

- **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि–** प्रतिपूर्ति राशि रू0 300 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 24 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रू0 7200 तक प्रतिमाह (वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी।
- यदि क्लस्टर में आशाओं की संख्या 23 से कम है, तो आशा संगिनी द्वारा सर्वप्रथम अपने सभी आशाओं के क्षेत्र में एक–एक दिन भ्रमण किया जायेगा, तत्पश्चात् शेष बचे दिनों में अपने क्लस्टर की उन आशाओं का भ्रमण किया जायेगा, जिन्हें परफॉमेंस मॉनीटरिंग प्रोफार्मा के अनुसार सर्वाधिक सहायतित पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। समस्त आशाओं का प्रथम भ्रमण पूर्ण करने के पश्चात आशा संगिनी द्वारा द्वितीय भ्रमण हेतु चिन्हित आशाओं की सूचना बी0सी0पी0एम0 को सूचित किया जायगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आशा संगिनी द्वारा उन्हीं आशाओं का माह में द्वितीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस हेतु आशा संगिनी एप्लीकेशन / डैशबोर्ड में भी व्यवस्था की जा रही है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी भी एक आशा के क्षेत्र में माह में दो बार भ्रमण किया जाता है तो पहले एवं दूसरे भ्रमण के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतराल हो। जिन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण माह में दो बार किया गया हो, ऐसी स्थिति में आशा संगिनी द्वारा दोनों बार प्रपत्र भरें जायेंगे एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा द्वितीय पर्यवेक्षण किये गये प्रपत्र को ही ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
- यदि आशाओं की संख्या 23 से अधिक है, तो आशा संगिनी को प्रयास करना चाहिए कि माह में समस्त आशाओं के क्षेत्र में कम से कम एक बार भ्रमण अवश्य कर लिया जाये। इस हेतु जिन गाँवों में एक से अधिक आशायें हैं वहां एक दिन में 2 या 3 आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जा सकता है। आशा संगिनी को इस कार्य हेतु एक ही दिन की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। यदि यह संभव नहीं हो पाया हो तो भी आशा संगिनी द्वारा कम से कम 23 आशाओं के क्षेत्र में प्रतिमाह भ्रमण करना आवश्यक होगा एवं अगले माह के भ्रमण में सर्वप्रथम उन आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण किया जाना है जिनका पर्यवेक्षण पिछले माह में नहीं हो पाया था। आशा संगिनी को अपने भ्रमण कार्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि कार्य निष्पादन में कमजोर आशाओं का पहले सहायतित पर्यवेक्षण किया जाये। आशा संगिनी को उपरोक्तानुसार 23 भ्रमण / कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित अपने क्षेत्र की क्लस्टर बैठक में अवश्य प्रतिभाग करेगी एवं उक्त बैठक में उपस्थिति को 24वें भ्रमण के रूप में अंकित किया जायेगा। इस प्रकार आशा संगिनी को माह में अधिकतम 24 कार्य दिवसों हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।
- यदि आशा संगिनी एक दिन में एक से अधिक आशाओं के क्षेत्र में भ्रमण करती है, तो उसके द्वारा सभी आशाओं के लिए फार्म भरे जायेंगे और ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के सम्बन्धित भाग में आख्या लिखी जायेगी, परन्तु उसे केवल एक दिवस की ही प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

नोट–<u>आशाओं के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश की समस्त आशा संगिनियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराये गये हैं। मोबाइल फोन द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की रिर्पोटिग हेतु समस्त आशा</u>

संगिनियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब आशा संगिनियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन पर ही पर्यवेक्षण आख्या अंकित की जायेगी एवं मोबाइल एप्लीकेशन आधारित भ्रमण का ही भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही यदि आशा संगिनीयों को मोबाइल एप्लीकेशन मे किसी प्रकार की तकनीकि समस्या आ रही है तो, समस्या का समाधान होने तक, आशा संगिनी द्वारा प्रपत्र 1 और 2 को मैनुअल भरकर ब्लॉक पर जमा किया जायेगा जिससे उनका भुगतान बाधित न हो।

- बी.सी.पी.एम. द्वारा आशा संगिनी के प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन आशा डायरी, आशा संगिनी डायरी व क्षेत्र भ्रमण के दौरान किया जायेगा।

2.3 आशा संगिनी की प्रतिपूर्ति राशि सम्बन्धी दिशा–निर्देश–

क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि
1	अपनें क्षेत्र की समस्त आशाओं की आशा ड्रग किट का नियमित रिफिलिंग कराकर आशा डायरी में अपडेट करवाने पर	100
2	प्रत्येक माह अपने क्षेत्र की प्रत्येक आशा के मासिक भुगतान की निगरानी करने पर (जिसके अर्न्तगत वह वाउचर जमा करने की तारीख, आशाओं द्वारा वास्तविक भुगतान एवं प्रतिपूर्ति राशि प्राप्ति की तिथि अंकित करेगी)	100
3	अपनें क्षेत्र में मातृ एवं शिशु (<-5 Years) मृत्यु का लेखा–जोखा अपने संगिनी रजिस्टर में अंकित करने पर (संगिनी 24 घण्टें के अन्दर रिर्पोटिंग प्रपत्र में मृत्यु को दर्ज करवाने पर)	100
4	आशा संगिनी द्वारा बी.सी.पी.एम. के साथ सी.एच.सी. / पी.एच.सी. पर मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
5	आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह 24 भ्रमण कियें जानें पर (23 दिन आशा क्षेत्र भ्रमण एवं 01 दिन क्लस्टर बैठक में प्रतिभाग करने पर) प्रति भ्रमण	300
6	आशा संगिनी द्वारा क्लस्टर बैठक में **क्षमतावर्धन सत्र** संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि	200

✓ **आशा संगिनी डायरी–** आशा संगिनियों द्वारा किये जाने वाले दैनिक कार्यो के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से आशा संगिनियों को आशा संगिनी रजिस्टर दिया गया है। उक्त रजिस्टर में आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत आशाओं के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, मासिक भ्रमण, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, आशा संगिनी क्लस्टर बैठक, आशा शिकायत, आशा ड्रग किट रिफलिंग आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोपरान्त देखभाल, परिवार नियोजन, गैर संचारी रोग, किशोर स्वास्थ्य, बीमार (0–5 वर्ष) बच्चों का प्रबंधन व देखभाल, मातृ एवं शिशु मृत्यु के सम्बन्ध में पृष्ठ सम्मिलित हैं। रजिस्टर में आशा संगिनी हेतु एक मासिक प्लानर भी दिया गया है, जिसके द्वारा आशा अपने प्रस्तावित भ्रमणों एवं किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षणों के सम्बन्ध में जानकारी अंकित करेगी। यह प्रतिपूर्ति राशि रू0 300 प्रतिमाह प्रत्येक आशा संगिनी को देय होगी।

इसके अंतर्गत आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह निम्नलिखित 3 गतिविधियां की जानी हैं और साथ ही इन गतिविधियों का अभिलेखीकरण अपनी आशा संगिनी डायरी में भी निर्धारित प्रारूप पर करना है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत् है।

✓ **आशाओं के नियमित भुगतान का अभिलेखीकरण–** आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र के समस्त आशाओं के पेमेंट वाउचर का अभिलेखीकरण किया जाना है। इस हेतु आशा संगिनी रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वाउचर जमा करने की तिथि, सत्यापन की तिथि, वाउचर में अंकित कुल धनराशि, भुगतान की तिथि (PFMS द्वारा आशा के एकाउण्ट में धनराशि हस्तांतरण की तिथि) एवं भुगतान की गई धनराशि अंकित की जायेगी। इस हेतु आशा संगिनी को प्रतिमाह रू0 100.00 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

✓ **आशाओं के ड्रग किट रीफलिंग का अभिलेखीकरण–** आशा संगिनी क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं के उपयोग के अनुसार औषधियां का विवरण अपनी आशा संगिनी डायरी के सम्बन्धित भाग में माहवार अंकन करेगी व आपूर्ति हेतु आवश्यक दवाईयों को ब्लॉक स्तर से प्राप्त कर अपने भ्रमण के दौरान आशाओं को वितरित करेंगी। इस हेतु आशा संगिनी को प्रतिमाह रू0 100.00 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

आशाओं के क्लस्टर बैठक के दौरान आशायें अपनी ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित आशा संगिनी को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे आशा संगिनी द्वारा अपनी आशा संगिनी डायरी में निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा। तत्पश्चात ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी आशा संगिनी की रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगा एवं आशा संगिनी के सहयोग से सभी आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक ब्लॉक स्तरीय फर्मासिस्ट के निगरानी में रखा जायेगा। (आशा ड्रग किट रीफलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश बिन्दु सं0–10 पर दिये गये हैं।)

- ✓ **मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु सम्बन्धी जानकरी को अद्यतन करना–** आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली मातृ मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मृत्यु और मृत्यु के कारण को आशा संगिनी डायरी के सम्बन्धित भाग में अभिलेखित करना है। आशा संगिनी यह सुनिश्चित करेगी कि मातृ मृत्यु की स्थिति में सम्बन्धित आशा द्वारा 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष के माध्यम से सूचना अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा आशा संगिनी को उपलब्ध करा दे। इसके अलावा आशा द्वारा 72 घण्टों के अन्दर मातृ मृत्यु की सूचना प्रपत्र–1 पर भरकर ए0एन0एम0 या प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये। इस हेतु आशा संगिनी को प्रतिमाह रू0 100.00 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।
- ✓ **आशा संगिनी मासिक बैठक–** आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशा संगिनी मासिक बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा। उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा संगिनी को रू0 150 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी।

2.4 उपरोक्त के अतिरिक्त आशा संगिनियों को अन्य गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्राविधान है। उक्त के अन्तर्गत आशा संगिनियों को निम्न तालिका के अनुसार अधिकतम रू0 1250 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी–

क्र. स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि	टिप्पणी
1–क	आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण करने पर एवं 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु	200	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ख	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	150	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ग	आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लक्ष्य दम्पत्ति, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण का सत्यापन।	350	उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर न हो अथवा वह PBS जनपदों में न आती हो।
2	आशा संगिनी क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु	150	समस्त जनपदों हेतु
3	**आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के आधार पर निम्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर** • **क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का गृह भ्रमण।** • **उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर नियमानुसार HRP का अंकन।** • **आशाओं के सहयोग से कम से कम चार प्रसव पूर्व जाँचें जिनमें से कम से कम एक जाँच चिकित्सालय स्तर पर करायी गयी हो।** • **आशाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार कराना** • **संस्थागत प्रसव** • **पोर्टल पर अंकन**	500	समस्त जनपदों हेतु

4	क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर फालोअप करना • जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात। • SNCU से Discharge नवजात शिशु।	150	समस्त जनपदों हेतु
5	• बीमार नवजात शिशु, जिन्हें आशा द्वारा HBNC के दौरान Refer किया गया हो। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलो–अप।	100	समस्त जनपदों हेतु

नोट– यदि किसी क्षेत्र में कोई उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील हो जाता है तो उसे 1–ग में उल्लेखित पूर्ति राशि नहीं दी जायेगी। उसे 1–क एवं 1–ख में उल्लेखित प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

1–क प्रतिमाह आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं का कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण किया जायेगा एवं उनमें से 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु उनको रू0 200/– की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

1–ख आशा संगिनी द्वारा अपने क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को आशा की सहायता से प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनको रू0 150/– की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

1–ग आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थीयों (जैसे लक्ष्य दम्पत्ति को परिवार नियोजन संबंधित साधन एवं परामर्श, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चो का टीकाकरण) का सत्यापन करने हेतु उनको रू0 350/– की धनराशि देय होगी। (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु)

- बिन्दु सं0–2,3,4,5 पर दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि समस्त जनपदों की आशा संगिनियों को प्रदान किया जायेगा।

✓ **प्रदेश के समस्त जनपदों में आशा संगिनियों को स्मार्ट फोन वितरित किये गये हैं। आशा संगिनियों को स्मार्ट फोन में इण्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु रू0 200/– प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जा रही है।**

✓ **अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एच.आर.पी.) का चिन्हीकरण एवं फॉलोअप** – आ"ाा संगिनी अपने प्रत्येक भ्रमण के दौरान आ"ाा से उसके क्षेत्र में चिन्हित अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एच.आर.पी.) की जानकारी प्राप्त करेंगी एवं उसे अपने एप्लीके"ान में दर्ज करेंगी। आ"ाा संगिनी अपने आगामी भ्रमणो में भी इन चिन्हित अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर एप्लीके"ान पर अंकित करेगी। आ"ाा संगिनी द्वारा सभी चिन्हित अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सेवाओं का फॉलोअप प्रसव/गर्भ समापन के बाद 42 दिनों तक प्रत्येक आशा भ्रमण के दौरान अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

- **मातृ एवं बाल मृत्यु रिपोर्टिंग**– आशा संगिनी अपने भ्रमण के दौरान क्षेत्र में होने वाले सभी मातृ एवं बाल मृत्यु (0–5 वर्ष तक के बच्चों की मत्यु) की सूचना दर्ज करेंगी। जिसकी संकलित सूचना डैश बोर्ड के माध्यम से ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध होगी। ब्लॉक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा एप्लीकेशन के माध्यम से रिपोर्ट की गयी मृत्यु की सूचना अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को नियमित रुप से उपलब्ध करायी जाएगी ताकि समस्त मृत्यु का एम0डी0आर0 पूर्ण कराकर जिला स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

उक्त एप्लीकेशन के माध्यम से आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं की क्रियाशीलता, आशा संगिनी द्वारा किये जा रहे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी। उक्त जानकारी का उपयोग बी.सी.पी.एम. द्वारा ब्लॉक स्तरीय आशा संगिनी बैठकों में किया जा सकेगा, जिसके आधार पर क्षेत्र की आशाओं की क्रियाशीलता एवं आशा संगिनी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा सकेगी। जिससे आशा क्लस्टर बैठक के दौरान आशा संगिनियों के कार्य क्षेत्र में विषय एवं कार्य में कमजोर आशाओं की डैशबोर्ड से प्राप्त डाटा के आधार पर पहचान कर आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठकों के दौरान नियमित रूप से क्षमतावर्द्धन किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद, मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय बैठकों में आशा संगिनियों की विभिन गतिविधियां जैसे– हाई रिस्क प्रेगनेन्सी, मैटरनल डेथ आदि की भी समीक्षा की जा सकेगी।

***आशा संगिनी एप्लीकेशन(ई–कवच) से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**

3. **आशा एवं आशा संगिनी को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश–**

- *दिनांक 29.07.2022 को जनपद स्तरीय आशा और आशा संगिनी के भुगतान हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुपालन के साथ ही निम्नलिखित निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।*
- आशा द्वारा विगत माह की 16 तारीख से वर्तमान माह की 15 तारीख तक की गई समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर क्षेत्रीय ए०एन०एम० से सत्यापित वाउचरो को आशा संगिनी द्वारा माह की 22 तारीख तक बी०सी०पी०एम० को उपलब्ध करा दिया जाये।
- आशा संगिनी द्वारा विगत माह की 16 तारीख से वर्तमान माह की 15 तारीख तक अपने भ्रमण के दौरान आशा क्रिय ाशीलता चेकलिस्ट एवं अन्य सभी सूचकांक आशा संगिनी एप्लीकेशन में अंकित किये जायेंगे। तत्पश्चात प्रपत्र–1 एवं 2 स्वतः ही डैशबोंड पर जनरेट हो जायेगा जिसे बी०सी०पी०एम० द्वारा पेमेण्ट हेतु डैशबोंड से डाउनलोड कर माह की 22 तारीख तक दस्तावेज कर लिया जायेगा। साथ ही माह की 22 तारीख तक आशा संगिनी द्वारा अपना आशा संगिनी पेमेण्ट वाउचर बी०सी०पी०एम० के पास जमा कर दिया जायेगा। उक्त वाउचरों को बी०सी०पी०एम० द्वारा सत्यापित कर बी०सी०पी०एम० एम०आई०एस० में फीड किया जाएगा।
- बी०सी०पी०एम० द्वारा आशा/आशा संगिनियों के बाउचर को सत्यापित करते हुए धनराशि को बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। उक्त के साथ ही आशा बाउचर को स्कैन करके बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल पर अपलोड (अभी आप्शनल है) किया जायेगा एवं पत्रावली प्रचालित/संचालित की जायेगी।
- बी०ए०एम० द्वारा बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल पर अंकित की गयी धनराशि एवं बाउचर की पूर्णता का परीक्षण किया जायेगा। पूर्ण पाये गये आशा बाउचरों से सम्बन्धित भुगतान को बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल एवं पत्रावली पर अनुमोदन हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को माह की 26 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।
- बी०ए०एम० द्वारा अपूर्ण पाये गये बाउचरों की सूची कारण सहित तैयार की जायेगी तथा पत्रावली पर रक्षित करते हुए अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा एवं आशा बाउचरों की कमी को दूर करते हुए पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा बी०सी०पी०एम० को निर्देशित किया जायेगा।
- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल एवं पत्रावली पर माह की 27 तारीख तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, तथा ऑडिट/अन्य जॉच हेतु भुगतान प्रपत्र (नोटशीट, बाउचर, एवं बी०सी०पी०एम० एम०आई०एस० की शीट) बी०ए०एम० द्वारा अभिरक्षित की जायेगी।
- बी०सी०पी०एम०–एम०आई०एस० पोर्टल से जनपद (जिला स्वास्थ्य समिति) को आशाओं एवं आशा संगिनियो के भुगतान का डाटा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति को बी०सी०पी०एम० एम०आई०एस० पोर्टल से अग्रसारित किया जायेगा, तथा उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी अनुमोदन प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होगें।
- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
- **आशा संगिनी अपने क्षेत्र की आशाओं के वाउचर का विवरण अपने आशा संगिनी पंजिका में अंकित करेगी। यदि आशा द्वारा वाउचर नहीं जमा कराये गये हैं, तो ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर दूरभाष द्वारा उस ए. एन.एम अथवा आशा से सम्पर्क कर सत्यापित वाउचर प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आशा द्वारा किये गये कार्यो का नियमित सत्यापन कर आशाओं के ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका में अंकित कर देना चाहिए। इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन मे आसानी होगी।**
- **ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त वाउचर पर कुल धनराशि का योग और दिनांक अवश्य लिखा जाये। वाउचर पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।**
- **संकलित वाउचर के आधार पर ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, BCPM MIS application द्वारा जनरेटेड एक्सेल शीट को निकालकर प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक, ब्लॉक एकाउन्ट मैनेजर और ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर से हस्ताक्षर कराने के उपरान्त ब्लॉक आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर पर अवश्य चिपका दिया जाये।**

- ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जायें कि आशा का भुगतान आशा द्वारा अपने कार्यक्षेंत्र मे किये गये कार्य के आधार पर ही किया जायें।
- आशाओं से उनके द्वारा किये गये उनके कार्य के सापेक्ष विभिन्न दस्तावेजों की छाया प्रति करने से आशाओं पर अनावश्यक वितिय भार पड़ता है उक्त के दृष्टिगत ब्लॉक के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्साइकाई जैसे जिला महिला चिकित्सालय या मेडिकल कालेज से सेवाये लेने पर सम्बन्धित दस्तावेज की फोटोकापी ही लिया जाना उचित होगा।
- आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र मे की जा रही गतिविधियों का सत्यापन ए.एन.एम. के सत्यापन के आधार पर अथवा भैतिक रूप से क्षेत्र में किया जा सकता है। इस हेतु अनावश्यक रूप से आशाओं को ब्लॉक पर न बुलाया जाय।
- आशाओं का भुगतान करने के बाद ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा आशाओं के समस्त वाउचरों को ब्लॉक लेखा प्रबन्धक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिससे ब्लॉक लेखा प्रबन्धक के द्वारा वार्षिक आडिट के समय उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत किया जा सके।
- जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर यह सुनिष्चित करेंगे कि जनपद के समस्त ब्लॉकों में आषा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर उपलब्ध है एवं नियमानुसार वाउचरों का अंकन नियमित रूप से किया जा रहा है।
- अगले माह की आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक में आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में हस्तान्तरित की गयी धनराशि की सूचना ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा सूचना पट्ट पर चस्पा की जाये।
- जिन आशाओं ने प्रारम्भिक 4 मॉड्यूलों में अथवा 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इसी प्रकार आशा संगिनियों का भुगतान भी उनके द्वारा प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जायगा। **आशाओं एवं संगिनियों द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिये ही भुगतान किया जाये।**
- ब्लॉक स्तर के "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के माध्यम से प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक/ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक आशा नोडल अधिकारी द्वारा मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं एवं संगिनियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। आशा नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं की क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- **किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये।** जनपद में आशा भुगतान हेतु आशा **नोडल अधिकारी (ACMO-RCH)** एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। **आशा भुगतान** की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति के नियमित **एजेण्डा में भी सम्मिलित** किया जाये। किसी भी ब्लॉक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक **धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद** आशा को नियमित भुगतान न होने की दशा में प्रभारी चिकित्सा **अधिकारी से स्पष्टीकरण** प्राप्त किया जाये।
- **यदि किसी आशा को** भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आशा **संगिनी/ए0एन0एम0/**ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित **करें।**
- **प्रभारी** चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा यदि आशा भुगतान के सम्बन्ध में **किसी भी प्रकार से अनियमितता** की जाती है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा **भुगतान की गयी धनराशि** सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।

आशा संगिनी मासिक समीक्षा बैठक–

ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रतिमाह आशा संगिनियों की मासिक **बैठक किये जाने का प्राविधान है। बैठक** में आशा संगिनियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, क्षमतावर्द्धन, **अभिलेखीकरण, भुगतान एवं शिकायत का निस्तारण** आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। आशा संगिनी **क्लस्टर बैठक का आयोजन प्रत्येक माह की 22** तारीख को किया जाना चाहिए। यदि 22 तारीख को अवकाश **अथवा कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित है तो** प्रभारी चिकित्साधिकारी के अनुमोदन के आधार पर अगले

कार्यदिवस में उक्त बैठक करायी जा सकती है। संगिनियों की सहजता को ध्यान में रखते हुए बैठक का समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रखा गया है।

- यह बैठक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर न होने की दशा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चिन्हित अन्य आशा नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित की जानी है। बैठक में बी0पी0एम0, ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षकों एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- बैठक का एजेण्डा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोग से बैठक के पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।
- बैठक का प्रस्तावित एजेण्डा का प्रारूप निम्नवत् है –

क्र0सं0	विषय–वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	चयनित विषय पर क्षमतावर्द्धन
3	संगिनियों द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा
4	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशा भुगतान की स्थिति की समीक्षा एवं आशा भुगतान वाउचर जमा करना
5	आशा शिकायत एवं निराकरण
6	आशा ड्रग किट रीफलिंग हेतु इंडेन्ट उपलब्ध कराना
7	आशा संगिनी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 जमा किया जाना
8	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
9	अन्य कोई बिन्दु

- ब्लॉक स्तर पर संगिनियों की बैठक हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें आशा संगिनियों की उपस्थिति निम्न प्रारुप पर अंकित की जाये।

बैठक का स्थान .... दिनांक ....

क्र0 सं0	आशा संगिनी का नाम	क्षेत्र	हस्ताक्षर

- बैठक के दौरान ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा आशा संगिनी के गत माह किये गये कार्यो की समीक्षा की जायेगी व अगले माह कार्य योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी।
- आशा संगिनी की बैठक की कार्यवृत्ति का अभिलेखीकरण ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जायेगा एवं उच्चाधिकारियों के पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा।
- आइ0सी0टी0 कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में नियमित रुप से की जायेगी एवं संगिनी आइ0सी0टी0 कार्यक्रम को एजेंडे में अनिवार्य रुप से शामिल किया जाये जिससे कार्यक्रम मे संगिनी एप्लीकेशन से प्राप्त ऑकड़ो पर संगिनीवार समीक्षा एवं संगिनी को क्षेत्र में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- बैठक के साथ–साथ संगिनी आई0सी0टी0 कार्यक्रम का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की समीक्षा बैठकों में की जायेगी। आइ0सी0टी0 कार्यक्रम के डैशबोर्ड एवं संगिनी एप्लीकेशन रिर्पोट (SAR) को ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा नियमित रुप से अनुश्रवण कर कार्यक्रम की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाये।
- **संगिनी द्वारा एप्लीकेशन के माध्यम से रिर्पोट की जाने वाली एच0आर0पी0 चिन्हीकरण, मातृ एवं शिशु मृत्यु रिर्पोटिंग का सत्यापन कर आर0सी0एच0 पोर्टल पर रिर्पोटिंग की जाये।**
- बैठक का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की समीक्षा बैठकों में की जायेगी।
- जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर इन बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

<u>बी0सी0पी0एम0 की जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक</u> –

जनपद में कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 की अध्यक्षता में प्रतिमाह समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का एजेण्डा डी0सी0पी0एम0 द्वारा ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 के निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस बैठक में जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर्स द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यदि किसी ब्लॉक में बी0सी0पी0एम0 का पद रिक्त है तो उस ब्लॉक के

बी0पी0एम0 अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। बैठक में आशा योजना (आशा–आशा संगिनी चयन, प्रशिक्षण एवं भुगतान, आशा परफार्मेन्स मॉनीटरिंग रिपोर्ट, एच0बी0एन0सी0, आशा शिकायत, पी0एम0एम0वाई0 आदि), रोगी कल्याण समिति , उपकेन्द्र, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर एवं समुदाय स्तर पर संचालित अन्य कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रतिभाग करने हेतु टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान ब्लॉक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 टी0ए0/डी0ए0 हेतु उपलब्ध धनराशि से निमानुसार किया जाएगा। बैठक में यथा सम्भव अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। बैठक का अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तरीय डी0सी0पी0एम0 समीक्षा बैठक–

जनपद में कम्युनिटी प्रोसेस से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर डी0सी0पी0एम0 एवं रीजनल मैनेजर (सी.पी.) की समीक्षा बैठक का आयोजन प्रत्येक दो माह पर किया जाता है। समीक्षा बैठक में कम्यूनिटी प्रोसेस सम्बन्धी गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है। बैठक में भारत सरकार/राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयो से भी अवगत कराया जाता है। राज्य स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य सम्बन्धित अनुभागों द्वारा भी जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों को अभिमुखीकृत किया जाता है।

मण्डल स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक :

ब्लॉक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर मण्डल के समस्त ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनजर्स की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में मण्डलीय मुख्यालय पर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोजित की जायेगी। बैठक में सम्बन्धित मण्डल के समस्त बी0सी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0),मण्डलीयपरियोजना प्रबंधक, रीजनल कोऑर्डिनेटर (सी.पी.) मण्डलीय एच0बी0एन0सी0 कोऑर्डिनेटर (यूनीसेफ), उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में तकनिकी सहयोग इकाई के प्रतिनिधियों एवं अन्य मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

- **बैठक में प्रतिभागियों** की संख्या 50–50 के मध्य रखना चाहिए जिससे कार्यक्रम की ब्लॉकवार/जनपदवार **समीक्षा सुनिश्चित** की जा सके। 50 से अधिक संख्या होने पर मण्डल के जनपदों को दो भाग में **विभाजित करते हुये** बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए । ध्यान रखा जाये कि बैठक हेतु कुल व्यय **बैठक में प्रतिभाग** करने वाले बी0सी0पी0एम0 की संख्या के आधार पर ही अनुमन्य होगा ।
- **बैठक की सूचना** सभी प्रतिभागियों के अतिरिक्त परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन **इकाई को भी समय से** प्रेषित की जाएगी जिससे इन बैठकों में राज्य स्तर के अधिकारी भी प्रतिभाग कर **सके ।**
- **बैठक का एजेण्डा** मण्डलीय अपर निदेशक, के निर्देशों के अनुसार रीजनल कोऑर्डिनेटर (सी.पी.) के **द्वारा बैठक के पूर्व** में ही तैयार कर लिया जाये।
- **बैठक का प्रस्तावित** एजेण्डा का ड्राफ्ट प्रारूप निम्नवत् है –

क्र0सं0	विषय–वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	चयनित विषय पर क्षमतावर्द्धन
3	ब्लॉक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा माह में किये गये कार्यो की समीक्षा
3.1	ब्लॉकवार/जनपदवार आशा भुगतान की समीक्षा
3.2	आशा/आशा संगिनी चयन एवं प्रषिक्षण की समीक्षा
3.3	मॉड्यूल 6–7 प्रषिक्षण की समीक्षा
3.4	एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम की समीक्षा
3.5	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समीक्षा
3.6	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठकों की समीक्षा
3.7	रोगी कल्याण समिति के बैठकों की समीक्षा
3.8	गत माह किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षकीय भ्रमणों की समीक्षा
4	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
5	अन्य कोई बिन्दु

इसके अतिरिक्त राज्य एवं जनपद स्तर से दिये गये अन्य कार्यो की भी समीक्षा की जायेगी।

- मण्डल स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की बैठक हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें ब्लॉक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर की उपस्थिति निम्न प्रारुप पर अंकित की जाये।

बैठक का स्थान .... दिनांक ....

क्र0 सं0	ब्लॉक /जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर का नाम	ब्लॉक/जनपद का नाम	हस्ताक्षर

- बैठक की कार्यवृत्ति रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा) द्वारा अभिलेखित की जायेगी तथा मण्डलीय अपर निदेषक, के अनुमोदनोपरांत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को प्रेषित की जायेगी।
- **वित्तीय व्यवस्था** : उपरोक्त बैठक हेतु धनराशि रू0 500/— प्रति ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मेनेजर प्रति बैठक (त्रैमास) की दर से अनुमोदित की गई है। उक्त धनराशि बैठक हेतु हाल, प्रोजेक्टर, प्रतिभागियों हेतु खान—पान एवं स्टेशनरी आदि के लिए समस्त वित्तीय नियमो को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। जहा तक संभव हो सरकारी भवनों में स्थित हाल का उपयोग किया जाये। व्यय के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी। प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आदि (टी.ए./डी.ए.) उनके तैनाती स्थल से यात्रा भत्ता हेतु अनुमोदित मद अथवा ऑपरेशनल कास्ट से किया जायेगा। उक्त गतिविधि हेतु तालिका में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तानान्तरित की जाएगी।

आशा बीमा —

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं दिशा निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रू0 330/— प्रति व्यक्ति की दर से तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रू0 12/— प्रति व्यक्ति की दर से बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को बीमा हेतु आवंटित धनराशि में से दिया जाना है। पूर्व में कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू. /कम्यू.प्रो./आशा बीमा योजना/ 2015—16/84/6382 दिनांक 24.10.2019 एवं एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो. /आशा बीमा योजना/ 18—19/84/वॉल्यूम.1/4911—75 दिनांक 19.11.2020 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश प्रेषित किये गये हैं।

1. आशा योजना से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण—कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा निम्न रजिस्टर/प्रपत्र के मुद्रण हेतु धनराषि अवमुक्त की जा रही है जिसके दिषा—निर्देष निम्नवत हैं—

- **ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर मुद्रण—** ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति **आशा की दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर की जानी है।**

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ—2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

- **आशा संगिनी रजिस्टर मुद्रण हेतु —** आशा संगिनी रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति आशा संगिनी की **दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार** किया जाना है जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर **की जानी है।**

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

- **आशा एवं आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि हेतु वाउचर एवं मास्टर पेमेंट रजिस्टर–**
  - वर्ष 2022–23 में आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर एवं ब्लॉक स्तरीय आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध कराने एवं रख–रखाव हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–
  - आशाओं एवं आशा संगिनियों द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर वितरित किया जाना है। वाउचर का **प्रारूप संलग्न** किया जा रहा है (संलग्नक–1)
  - प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स की दो प्रतियाँ (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 25 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत होंगे।

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	मिशन फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

  - बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जायें। प्रथम पन्ना सफेद रंग का तथा दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
  - इस वर्ष के वाउचर में प्रोत्साहन राशि हेतु अनुमोदित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य एफ.एम.आर. कोड्स के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी अंकित किया गया है। इसका उद्देश्य आशा को वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमोदित आर.ओ.पी. के अनुसार प्रोत्साहन राशि हेतु निर्धारित समस्त गतिविधियों से अवगत कराना है। इससे आशाओं में वर्णित गतिविधियों में कार्य करने के प्रति तत्परता आयेगी।
  - वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिषीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लायें जायें।
  - आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु ब्लॉक स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अनिवार्य है। प्रत्येक ब्लॉक के लिये अधिकतम रू0 150.00 प्रति रजिस्टर प्रति ब्लॉक के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। रजिस्टर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। रजिस्टर को शीघ्र छपवाकर प्रत्येक ब्लॉक को उपलब्ध करवाया जाये।
- **आशा संगिनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र–** आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 छपवाने हेतु धनराशि प्रति आशा संगिनी रू0 50.00 की दर से की जानी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।
- **उपकेन्द्र व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर मुद्रण–** उपकेन्द्र व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर का मुद्रण रू0 150.00 प्रति रजिस्टर दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है। स्पष्ट करना है कि जिन उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है वहाँ पर जन आरोग्य समिति पंजिका का मुद्रण कराया जायेगा। जन आरोग्य समिति के मुद्रण हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

क्र. सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	146

2. आशा ड्रग किट –

- आशा ड्रग किट का उद्देश्य प्रदेश की सभी आशाओं को सामान्य रोगों के प्रारम्भिक लक्षणों से राहत दिलाने के लिए एवं रोग की आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान कर ने एवं प्रशिक्षण के दौरान सीखी गयी प्रक्रिया के अनुसार रोग का प्रबन्धन करने के लिए ड्रग किट दी गयी है। जिसके द्वारा आशा त्वरित व सीमित उपचार हेतु आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क वितरित करेगी।
- भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध मे जारी मॉडल दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया गया है–

आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची		
क्र. स.	दवा / सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट	20
5	जिंक टेबलेट	50
6	ओआरएस के पैकट	10
7	निश्चय किट	3
8	कंडोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्कताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। उपरोक्त सामग्रियों के प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक–2) जिसको प्रत्येक आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये।

- **आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश–**

आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग–अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

आशाओं के ड्रग किट रीफिलिंग का अभिलेखीकरण– आशा संगिनी अपने क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं के उपयोग के अनुसार औषधियों का विवरण अपनी आशा संगिनी डायरी में माहवार अंकन करेगी व आपूर्ति हेतु आवश्यक दवाईयों को ब्लॉक स्तर से प्राप्त कर अपने भ्रमण के दौरान आशाओं को वितरित करेंगी।

क्र.स.	दवा / सामग्री	आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा .... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	आशा .... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	**घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट**					
2	**पैरासीटामॉल टैबलेट**					
3	**आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां**					
4	**डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट**					
5	**जिंक टेबलेट**					

6	ओआरएस के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कंडोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाये तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित करेगी।

3. <u>एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट</u> (**FMR Code HSS3**)–

- आशाओं को मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत चार चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण के पश्चात आशाओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं एवं माताओं की देखभाल की जाती है। उक्त देखभाल हेतु आशाओं को प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दौरान एच0बी0एन0सी0 किट उपलब्ध करायी जाती है। समस्त जनपदों को मॉड्यूल 6–7 प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट हेतु **FMR Code HSS3** के अन्तर्गत निम्न तालिकानुसार धनराशि स्वीकृत/आवंटित की जा रही है।
- यदि 6–7 मॉड्यूल प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रस्तावित है तो प्राथमिकता के आधार पर पहले नवीन एच0बी0एन0सी0 किट का क्रय किया जाएगा तद्पश्चात शेष धनराशि से आशाओं की आवश्यकतानुसार एच0बी0एन0सी0 किट की सामग्रियों का क्रय किया जाएगा। जिसे जनपदीय स्टोर में स्टॉक बुक में एंट्री के पश्चात ब्लॉक स्तर से आशाओं की आवश्यकता के आधार पर आशाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार एच0बी0एन0सी0 किट की विभिन्न सामग्रियों की माँग/वितरण का नियमित रूप से अभिलेखीकरण किया जाएगा।
- आशाओं के एच0बी0एन0सी0 किट में उपलब्ध डिजिटल घड़ी एवं थर्मामीटर को बदलने अथवा माइनर रिपेयर के लिए सम्बन्धित उपकेन्द्र अथवा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु उपलब्ध अण्टाइड फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।

4. <u>आशा मेन्टोरिंग समूह</u> –

- **आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तरों पर आशा मेन्टोरिंग समूह का गठन किया गया है।** मेन्टोरिंग समूह में सामुदायिक स्वास्थ्य **के क्षेत्र में काम** कर रही अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं **स्वास्थ्य शिक्षण** संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। समूह का प्रमुख उद्देश्य आशा योजना के **प्रभावी क्रियान्वयन हेतु** निति, कार्यक्रम क्रियान्वयन, आशा का क्षमतावर्द्धन जैसे मुद्दों पर सलाह देना है। **समूह के सदस्यों का यह** उत्तरदायित्व होता है कि वह समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण करके आशा कार्यक्रम **से सम्बन्धित फीडबैक** एवं सुझाव प्रदान करते हैं जिससे की कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जा **सके। इसकी बैठकें** राज्य एवं जनपद स्तरों पर प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाती हैं तथा जनपद **स्तरीय बैठकों के** फीडबैक एवं सुझावों को राज्य स्तर की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं एवं फॉलोअप **कार्यवाही में सम्मिलित** किया जाता है।
- **जनपद स्तरीय आशा मेन्टोरिंग समूह** के गठन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में **पत्र संख्या** एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा सपोर्ट/2008–09/5/11363–71 दिनांक 29 मई, 2009 एवं

संशोधित दिशा–निर्देश पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टोरिंग ग्रुप/2013–14/2042–75 दिनांक 14.08.2013 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

5. **आशाओं एवं आशा संगिनियों को यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश–**

राज्य कार्ययोजना वर्ष 2022–23 के अंतर्गत आशा यूनिफार्म हेतु रू0 1000/– प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा एवं आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रू0 1000/– का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

- आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो पूर्व की भाँति क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉडर होगा।
- आशा संगिनी हेतु एक साड़ी दिये जानें हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है, जो चॉकलेट रंग की प्लेन एवं क्रीम रंग का बॉडर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है। उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार–कुर्ता एवं चॉकलेट रंग का दुपट्टा खरीदा जा सकता है। इसी प्रकार जिन आशा संगिनी द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार–कुर्ता पहना जाता है। उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर चॉकलेट रंग का सलवार–कुर्ता एवं क्रीम रंग का दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा। आशा संगिनी द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किया जायेगा।
- आशाओं का यूनिफार्म हेतु लक्षित आशा/आशा संगिनी के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशा/आशा संगिनी को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि डी.एच.एस. में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन आशा/आशा संगिनी के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

आशा सम्मेलन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आशा कार्यक्रम का प्रारंभ दिनांक 23 अगस्त 2005 को हुआ था। आशा सम्मेलन का आयोजन इसी दिन की याद में जनपद स्तर पर आयोजित किया जाता है जिसमें सभी आशाओं (ग्रामीण एवं शहरी) एवं आशा संगिनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। सम्मेलन में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रत्येक ब्लाक से सर्वश्रेष्ठ आशाओं एवं संगिनियों को सम्मानित भी किया जाता रहा है। आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भी आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गए कार्यो के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं, शहरी आशाओं, आशा संगिनियों एवं बी.सी.पी.एम. को पुरस्कृत किया जाएगा।

आशा दिवस/सम्मेलन की रूपरेखा

जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्यतया आशाओं को उनके कार्य के बारे में जानकारी देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना एवं विगत वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यो के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित सर्वश्रेष्ठ आशा को पुरस्कार दिया जाना सम्मिलित है। इस सम्मेलन का प्रस्तावित एजेण्डा दिया गया है जिसके आधार पर जनपदीय आशा नोडल अधिकारी, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ मिलकर अपने जनपद के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे।

आशा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये जनपद के प्रभारी मंत्री अथवा जिला परिषद के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाये।

आशा सम्मेलन हेतु आमंत्रण

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा सम्मेलन में आशाओं एवं शहरी आशा को इस प्रकार सम्मिलित किया जाये कि इनकी कुल संख्या बजट फांट में दी गई आशाओं की संख्या के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त जनपद की समस्त आशा संगिनियों को अवश्य सम्मिलित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक उपकेन्द्र/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से कम से कम एक आशा अवश्य प्रतिभाग करे। आशा को सम्मेलन स्थल तक आने व जाने के लिये रू0 100/– प्रति आशा की दर से परिवहन भत्ता दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से दो–दो ए0एन0एम0 व दो–दो ग्राम प्रधानों को

अवश्य बुलाया जाये तथा इनमें महिला प्रधानों को प्राथमिकता दी जाये। इस कार्य में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये तथा सम्मेलन में आशाओं के साथ ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी प्रतिभाग करें। जहाँ तक सम्भव हो आशा सम्मेलन में रीजनल आशा मैनेजर द्वारा भी अवश्य प्रतिभाग किया जाये।

2. मुख्य अतिथि के अलावा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों (विशेषतया पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास विभाग आदि) को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये। जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाये। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

3. आशा सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल स्तरीय अधिकारी यथा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संयुक्त निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं आशा रीजनल मैनेजर को भी आमंत्रित किया जाये। राज्य स्तर पर महानिदेशक परिवार कल्याण को सम्मेलन की तैयारी के विषय में जानकारी व आमंत्रण भेजा जाये। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को आशा सम्मेलन के लिये की गयी तैयारियों से अवश्य अवगत करा दिया जाये जिससे वह अपने स्तर से सम्मेलन के आयोजन से पूर्व समीक्षा कर सकें।

पुरस्कार हेतु आशा का चयन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में **आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों** के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वश्रेष्ठ आशाओं को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमोदित प्रति ब्लॉक की **सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये**।

सर्वश्रेष्ठ 3 आशाओं का चयन सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगाः

सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक–

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी.कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 250/– प्राप्त हुआ हो।	
	उपर्युक्त मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

1. आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना

क– आशा द्वारा कराये गये संस्थागत प्रसव

ख– आशा के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)=

जन्म दर×जनसंख्या/1000

संस्थागत प्रसव प्रतिशत = क×100/ख

2. आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे

क– गाँव में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

ख– कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = क×100/ख

3. स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा–

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/10

4. आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या ×100 /25

उदाहरण–आशा राधा देवी, जनपद–पीलीभीत, ब्लॉक–बीसलपुर के ग्राम पिपरिया में कार्यरत है, जिसकी आबादी 1400 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। राधा देवी द्वारा वर्ष 2022–23 में 25 संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्रति प्रसव प्राप्त हुई है। वर्ष 2022–23 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 27 है। राधा देवी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 पुरूष व 3 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी । इसके अतिरिक्त राधा देवी द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 15 है, जिस हेतु राधा देवी को रू0 250 प्रति केस में प्रदान किया गया है।

राधा देवी के औसत प्रतिशत की गणना निम्न अनुसार की जायेगी–

1. कुल सम्भावित प्रसव– 30×1400 / 1000=42
   संस्थागत प्रसव–25
   प्रतिशत=(25×100) / 42=59.52%
2. ग्राम पिपरिया में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या–30×1400 / 1000=42
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=27
   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–27 ×100 / 42=64.29 %
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–4×100 / 10=40%
4. एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या 15 ×100 /25=60%
5. औसत प्रतिशत–(59.52+64.29+40+60) / 4 = 55.95%

प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशाओं का चयन कर विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जायेगी। जिनके द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विकास खण्डवार सर्वश्रेष्ठ आशा के चयन पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इन आशाओं को सम्मेलन में अवश्य आमंत्रित किया जाये एवं उन्हें सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जाये। प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा को प्रमाण–पत्र एवं रू0 5000 की धनराशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा वितरित की जायेगी। आशा अवार्ड की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या (HSS.3.159.ASHA.9) के अंतर्गत सभी जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक ब्लाक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशाओं को भी पुरस्कृत करने का प्राविधान है। जिसके अर्न्तगत क्रमशः रू0 2000 / –एवं रू0 1000 / – की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी, जिसे आशा सम्मेलन हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या (HSS.3.159.ASHA.9) अनुमन्य धनराशि में व्यय किया जायेगा।

पुरस्कार हेतु आशा संगिनी का चयन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में **आशा संगिनियों द्वारा अपने निर्धारित क्लस्टर (कार्यक्षेत्र) में किये गये कार्यों** के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों का चयन सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा एवं जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात जनपद स्तर पर प्राप्त समस्त संगिनियों की सूची में से सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों को जनपद स्तर पर मानकानुसार चयन किया जायेगा एवं उन्हीं को आशा सम्मेलन में सम्मानित / पुरस्कृत किया जायेगा।

आशा संगिनी पुरस्कार प्रारूप –

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिषत
1	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में अपने क्षेत्र में कराये गये उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें आशाओं को प्रति केस रू0 600 / – प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष	

	2022–23 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (0–1 वर्ष तक)	
3	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
4	आशा द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 250/– प्राप्त हुआ हो।	
5	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत आशा भुगतान (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन)	
	उपर्युक्त चार मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनी कार्य के मानक

1. **आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराना**

   क– आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा कराये गये कुल संस्थागत प्रसव

   ख– आशा संगिनी के क्षेत्र में सम्भावित प्रसव की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)= जन्म दर×जनसंख्या/**1000**

   संस्थागत प्रसव प्रतिशत = क×100/**ख**

2. **आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**

   क– आशा संगिनी के क्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या

   ख– आशा संगिनी के क्षेत्र में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की सम्भावित संख्या

   पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत = क×100/**ख**

3. **स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरणा–**

   आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/200

4- आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या ×100/500

5. **आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत भुगतान प्रतिशत–**

   आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं द्वारा प्राप्त कुल चार मद (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन) में मासिक प्रतिपूर्ति राशि×100/2500

उदाहरण– श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी), ब्लॉक–महरोनी जनपद–झांसी में कार्यरत है, जिनके क्लस्टर की **जनसंख्या 22000 है। झांसी की जन्मदर 25 प्रति हजार है।** श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्लस्टर में **कार्यरत समस्त 20 आशाओं द्वारा वर्ष 2022–23 में** 180 संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्राप्त हुई **है। वर्ष 2022–23 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या** 500 है व परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 पुरूष व **60 महिलाओं को स्थायी गर्भनिरोधक** साधनों हेतु प्रेरित कर सुविधा प्रदान करायी गयी । लक्ष्मी देवी के क्षेत्र में **आशाओं द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम** के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में एच.बी.एन.सी. हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों की संख्या **400 है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी)** के क्षेत्र में समस्त आशाओं का औसत आशा भुगतान रू 1800/– है। **श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी)** के औसत प्रतिशत की गणना निम्न मानक के अनुसार की जायेगी–

1. **कुल सम्भावित प्रसव**– 25×22000/1000=550

   संस्थागत प्रसव–180

   प्रतिशत=(180×100)/550=32.72%

2. **कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों** की सम्भावित संख्या–25×22000/1000=550

   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि=500

   पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–500 ×100/550=90.90 %

3. **परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत**–70×100/200=35%

4. **एच.बी.एन.सी.कार्यक्रम के हेतु पूर्ण भरे प्रपत्रों** की संख्या 400 ×100/500=80%

5 **औसत आशा भुगतान प्रतिशत**–1800×100/2500 = 72%

औसत प्रतिशत–(32.72+90.90+35+80+72)/5 = 62.12%

समस्त आशा संगिनियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये जिसमें जनपद की सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों को पुरस्कृत किया जायेगा। औसत प्रतिशत के आधार पर जनपद की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशा संगिनियों को क्रमशः रू0 5000, रू0 3000 एवं रू0 2000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप PFMS के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की जायेगी। आशा संगिनी पुरस्कार की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या (HSS.3.159.ASHA.9) के अंतर्गत सभी जनपदों को डैप के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर0सी0एच0) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मेलन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर PFMS के माध्यम से समस्त पुरस्कृत आशा/आशा संगिनियों के पुरस्कार की धनराशि एवं यात्रा भत्ता आशाओं/आशा संगिनियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाए।

पुरस्कार हेतु बी.सी.पी.एम. का चयन

वत्तीय वर्ष 2022–23 में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर्स द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ बी.सी.पी.एम. को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ एक बी.सी.पी.एम. को प्रमाण–पत्र एवं रू0 5000 की धनराशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा वितरित की जायेगी।

सर्वश्रेष्ठ बी.सी.पी.एम. के चयन हेतु निम्न मानक निर्धारित किये गये हैं :–

क्रम संख्या	गतिविधि	गणना	स्रोत	निर्धारित अंक
1	सक्रिय आशाओं का प्रतिशत	सक्रिय आशाओं की संख्या/लक्षित आशाओं की संख्या	बी.सी.पी.एम. –एम.आई.एस.	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
2	सक्रिय आशा संगनियों का प्रतिशत	सक्रिय आशा संगनियों की संख्या/लक्षित आशा संगनियों की संख्या	बी.सी.पी.एम. –एम.आई.एस.	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
3	मॉड्यूल 6–7 के चतुर्थ चरण में प्रशिक्षित आशाओं का प्रतिशत	चतुर्थ चरण में प्रशिक्षित आशाओं की संख्या/लक्षित आशाओं की संख्या	मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षण रिपोर्ट	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
4	क्लस्टर बैठक में आशाओं की उपस्थिति का प्रतिशत	क्लस्टर बैठक में उपस्थिति आशाओं की संख्या/लक्षित आशाओं की संख्या	बी.सी.पी.एम. –एम.आई.एस.	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
5	ए.ए.ए. बैठक में आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की उपस्थिति का प्रतिशत	ए.ए.ए. बैठक में उपस्थिति आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या/लक्षित आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	ए.ए.ए. बैठक रिपोर्ट	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
6	**ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) की आयोजित बैठक का प्रतिशत**	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) की आयोजित बैठकों की संख्या/ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) गठन का लक्ष्य	ए.ए.ए. बैठक रिपोर्ट	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3 90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
7	**ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में ड्यू लिस्ट की उपलब्धता का प्रतिशत**	डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा अनुश्रवण किये गये सत्रों में अपडेटेड ड्यू लिस्ट की उपलब्धता वाले सत्रों की संख्या/ डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा अनुश्रवण किये गये कुल सत्रों की	डब्ल्यू.एच.ओ. मॉनिटरिंग रिपोर्ट	0–50 प्रतिशत– 0 50–60 प्रतिशत–1 60–70 प्रतिशत–2 70–80 प्रतिशत–3 80–90 प्रतिशत–4

		संख्या		90 से अधिक– 5
8	आशा शिकायत निवारण	वर्ष 2021–22 में आशाओं द्वारा ब्लॉक स्तर पर की गयी कुल शिकायतों की संख्या	आशा शिकायत निवारण समिति रिपोर्ट	10 से कम – 0 11 से 15 – 1 16 से 20 – 2 21 से 25 – 3 26 से 30 – 4 30 से अधिक – 5
9	उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति असम्बद्ध धनराशि का उपयोग प्रतिशत	वर्ष 2021–22 में व्यय की गयी कुल धनराशि / कुल अनुमन्य धनराशि	एफ.एम.आर.	0–50 प्रतिशत– 0 50–60 प्रतिशत–1 60–70 प्रतिशत–2 70–80 प्रतिशत–3 80–90 प्रतिशत–4 90 से अधिक– 5
10	ब्लॉक स्तरीय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक	वर्ष में आयोजित की गयी ब्लॉक स्तरीय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक	रोगी कल्याण समिति रजिस्टर	6 बैठक–1 7 बैठक–2 8 बैठक–3 9 बैठक–4 10–12 बैठक–5
11	औसत आशा भुगतान	वर्ष 2021–22 में व्यय की गयी धनराशि / आशाओं की संख्या / 12	एफ.एम.आर. / बी.सी.पी.एम. –एम.आई.एस.	रू0 2500 से कम – 0 रू0 2501 से रू0 3000 – 1 रू0 3001 से रू0 3500 – 2 रू0 3501 से रू0 4000 – 3 रू0 4001 से रू0 4500 – 4 रू0 4500 से अधिक–5
12	ससमय आशा भुगतान	आशा भुगतान की तिथि के अनुसार (जिस तिथि को ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा पी.एफ.एम.एस. बैंक को प्रेषित किया गया हो)	बी.सी.पी.एम. –एम.आई.एस.	समस्त 12 महीनों में माह की 30 तारीख से पूर्व भुगतान–5 कम से कम 8 महीनों में माह की 30 तारीख से पूर्व भुगतान–4 समस्त 12 महीनों में आगामी माह की 5 तारीख से पूर्व भुगतान–3 कम से कम 8 महीनों में आगामी माह की 5 तारीख तक भुगतान–2 कम से कम 8 महीनों में आगामी माह की 10 तारीख तक भुगतान–1
13	**प्रथम त्रैमास में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण प्रतिशत**	प्रथम त्रैमास में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या / कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	एच.एम.आई.एस.	0–50 प्रतिशत– 0 50–60 प्रतिशत–1 60–70 प्रतिशत–2 70–80 प्रतिशत–3 80–90 प्रतिशत–4 90 से अधिक– 5
14	**गर्भावस्था के दौरान चार प्रसव पूर्व जॉचों का प्रतिशत**	चार प्रसव पूर्व जॉचों की संख्या / कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	एच.एम.आई.एस.	0–50 प्रतिशत– 0 50–60 प्रतिशत–1 60–70 प्रतिशत–2 70–80 प्रतिशत–3 80–90 प्रतिशत–4 90 से अधिक– 5
15	**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नवीन लाभार्थी प्रतिशत**	वर्ष के दौरान नए लाभार्थियों की संख्या / नए लाभार्थियों का लक्ष्य	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की रिपोर्ट	प्रथम– 5 द्वितीय–3 तृतीय–1
16	**पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रतिशत**	पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या / 0–1 वर्ष के लक्षित बच्चों की संख्या	एच.एम.आई.एस.	0–75 प्रतिशत– 0 75–80 प्रतिशत–1 80–85 प्रतिशत–2 85–90 प्रतिशत–3

				90–95 प्रतिशत–4 95 से अधिक– 5
17	एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा नवजात शिशुओं की देखभाल का प्रतिशत	आशाओं द्वारा देखभाल किये गये नवजात शिशुओं की संख्या/कुल अनुमानित नवजात शिशुओं की संख्या	एच.बी.एन.सी. रिपोर्ट	0–50 प्रतिशत– 0 50–60 प्रतिशत–1 60–70 प्रतिशत–2 70–80 प्रतिशत–3 80–90 प्रतिशत–4 90 से अधिक– 5
18	पुरुष नसबन्दी	वर्ष में ब्लॉक क्षेत्र में कराए गये कुल पुरुष नसबन्दी की संख्या	फैमिली प्लानिंग रिपोर्ट	सर्वाधिक पुरुष नसबन्दी वाला ब्लॉक– 5 द्वितीय–3 तृतीय–1 नोट–कम से कम 5 पुरुष नसबन्दी करवाने वाले ब्लॉक को ही अंक प्रदान किये जाएंगे।
19	बी.सी.पी.एम. द्वारा आवश्यक अभिलेखों एवं बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस. का रख–रखाव	डी.पी.एम. एवं डी.सी.पी.एम. द्वारा निरीक्षण	निरीक्षण रिपोर्ट	अति उत्तम–5 उत्तम – 3 संतोषजनक–2
20	जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन एवं आचरण	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	–	अति उत्तम–5 उत्तम – 3 संतोषजनक–2

आशा सम्मेलन हेतु वित्त व्यवस्था

जनपदीय आशा सम्मेलनों के लिये आयोजन पर होने वाले अनुमन्य व्यय का विवरण निम्नवत् है। इस कार्यक्रम के लिये अवमुक्त धनराशि का व्यय नीचे दी गयी तालिका में अंकित निर्धारित सीमा से अधिक न किया जाये।

अनुमन्य व्यय हेतु मानक

क्र0सं0	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रू 75/– प्रति आशा
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रू0 4000/–
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	1. 500 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 15000/– 2. 750–1000 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 20000/– 3. 1000 आशाओं से अधिक रू0 25000/–
4	आशाओं हेतु सामग्री किट फोल्डर, प्रचार–प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि	रू0 50/– प्रति आशा
5	आशाओं के आने–जाने हेतु	रू0 100/– प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रू0 8000/–
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रू0 3000/–(2000+1000=3000) प्रति विकास खण्ड

सम्मेलन के आयोजन की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है **कि आयोजन के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति** द्वारा आवश्यक धनराशि के 75 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया **जाय। सम्मेलन के आयोजन** के उपरान्त सम्मेलन की रिपोर्ट व्यय विवरण सहित जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत **कर शेष आवश्यक धनराशि का अनुमोदन** प्राप्त कर समायोजन/भुगतान किया जाय।

आशा सम्मेलन के आयोजन एवं पुरस्कार हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपदों के जिला स्वास्थ्य **समितियों को डैप के माध्यम से धनराशि** पूर्व में ही अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रस्तावित रूपरेखा

क्र0सं0	आयोजन बिन्दु	समय
1	आशाओं का ब्लॉकवार पंजीकरण	प्रातः 9:00–10:00 बजे
2	उद्घाटन	प्रातः 10:00 बजे

3	ईश्वरीय वन्दना	प्रातः 10:15 बजे
4	आशा सम्मेलन का उद्देश्य व महत्ता मुख्य चिकित्साधिकारी का सम्बोधन	प्रातः 10:30 बजे
5	उत्कृष्टता पुरस्कार	प्रातः 10:45 बजे
6	मुख्य अतिथि एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्बोधन	प्रातः 11:15 बजे
7	• उत्तर प्रदेश में आशाओं की जिम्मेदारियों पर संभाषण–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लघु नाटक प्रहसन)–आशाओं द्वारा • एन.एच.एम. के अन्तर्गत इस वर्ष आशाओं हेतु योजनाओं व प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • जादूगर का प्रदर्शन • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना पर चर्चा–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • लोकगीत गायन/वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विजआदि • आशाओं के लिये (कार्यक्रम के दौरान समय पर भोजन अच्छे कैटरर के माध्यम से हाईजैनिक पौष्टिक भोजन के डिब्बों का वितरण)	प्रातः 12:00–4:00 बजे तक
8	कार्यक्रम का समापन	4:00 बजे तक

*** सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिल्मी गानों को न गाया जाय और न ही उन पर नृत्य किया जाय। शालीनता का पालन किया जाय। केवल स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार वाले लोक गीत, नाटक, बिरहा, रागनी, आल्हा, सोहर, जादू का प्रदर्शन, कठपुतली आदि का प्रदर्शन अनुमन्य होंगे।**

अनुश्रवण–

राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य आशा मेंटरिंग समूह के सदस्य एवं मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम का अनुश्रवण करायें।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अपरान्ह 12:00 बजे व 4:00 बजे आशाओं एवं संगिनियों के पंजीकरण रजिस्टर में आशाओं एवं संगिनियों की संख्या नोट कर रीजनल कोआर्डिनेटर/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को एस0एम0एस0 द्वारा सूचित करेंगे, रीजनल कोआर्डिनेटर/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक सायं 7:00 बजे संकलित सूचना ई–मेल के माध्यम से महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस को अवगत करायेंगे। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आशा संगिनी सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगी तो इसकी सूचना पूर्व में जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अवश्य दें दे। समस्त जनपद प्रत्येक दशा में आशा सम्मेलन की रिपोर्ट कार्यक्रमों के अगले दिन निम्न प्रारूप पर अवश्य प्रेषित करें।

आषा सम्मेलन रिपोर्टिंग प्रपत्र		
1	जनपद का नाम	
2	जनपद में कुल आशाओं की संख्या	
3	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं की संख्या	
4	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं का प्रतिशत	
5	अन्य प्रतिभागियों की संख्या	
6	कुल प्रतिभागियों की संख्या	
7	मुख्य अतिथि	
8	जनप्रतिनिधि का नाम व विवरण	
9	मण्डलायुक्त	
10	जिलाधिकारी	
11	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
12	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
13	मुख्य चिकित्साधिकारी	
14	सी0डी0ओ0	
15	जिला पंचायतराज अधिकारी	
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	
17	जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी	
18	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक	
19	राज्य स्तरीय अधिकारी/राज्य स्तरीय आशा मेन्टरिंग के सदस्य	
20	अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	
21	टिप्पणी	

विस्तृत जनपदीय रिपोर्ट जिसमें पुरस्कृत आशाओं के नाम, सम्मेलन के फोटोग्राफ, समाचार पत्र–पत्रिकाओं से प्रकाशित समाचार, फोटोग्राफ वीडियो आदि डिजिटली राज्य स्तर पर कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग में उपलब्ध करायेंगें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो / आशा योजना / 2022–23 / 58

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, एम0सी0एच0 / परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त रीजनल मैनेजर्स (कम्यु.प्रो.), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

Srl. No.	Districts	ASHA incentives for routine activities	ASHA Cluster Meeting	Incentive to ASHA for Health Promotion Day	AAA (ASHA +AWW)	Incentive to ASHA under PMMVY
	FMR Code	HSS.3.159.ASHA.1	HSS.3.159.CB.1	HSS.3.159.ASHA.3	HSS.3.159.ASHA.7	HSS.3.159.ASHA.5
	Total	**2812044600**	**150143850**	**281204460**	**170847900**	**82017987**
1	Agra	45991800	2350350	4599180	2750625	1341428
2	Aligarh	48567600	2567160	4856760	2852550	1416555
3	Ambedkar Nagar	39171600	2143260	3917160	2346300	1142505
4	Amethi	30893400	1751310	3089340	1819125	901058
5	Auraiya	22177800	1167570	2217780	1492425	646853
6	Ayodhya	38345400	2078100	3834540	2242350	1118408
7	Azamgarh	66209400	3595680	6620940	4571775	1931108
8	Baghpat	16912800	894780	1691280	1125225	493290
9	Bahraich	55695600	3035790	5569560	3086100	1624455
10	Ballia	50803200	2733930	5080320	3114450	1481760
11	Balrampur	41747400	2233980	4174740	2106675	1217633
12	Banda	27264600	1457370	2726460	1601100	795218
13	Barabanki	57331800	3062340	5733180	3114450	1672178
14	Bareilly	53330400	2745630	5333040	2905200	1555470
15	Basti	38037600	2113200	3803760	2363850	1109430
16	Bijnor	52471800	2760930	5247180	3046950	1530428
17	Budaun	47660400	2480760	4766040	2777625	1390095
18	Bulandshahar	45473400	2364750	4547340	3196800	1326308
19	CHANDAULI	32724000	1760940	3272400	1815750	954450
20	Chitrakoot	15017400	815580	1501740	891000	438008
21	Deoria	48972600	2647440	4897260	2960550	1428368
22	Etah	27799200	1469520	2779920	1691550	810810
23	Etawah	23101200	1241100	2310120	1412775	673785
24	Farrukhabad	26065800	1384650	2606580	1588275	760253
25	Fatehpur	40095000	2169270	4009500	2542725	1169438
26	Firozabad	27540000	1504170	2754000	2003400	803250
27	Gautam Buddh Nagar	12652200	645660	1265220	892350	369023
28	Ghaziabad	13267800	631080	1326780	1035450	386978
29	Ghazipur	59923800	3265470	5992380	3693600	1747778
30	Gonda	57234600	3112380	5723460	3132000	1669343
31	Gorakhpur	65091600	3524130	6509160	3803625	1898505
32	Hamirpur	16621200	877590	1662120	1193400	484785
33	Hapur	13932000	770400	1393200	825525	406350
34	Hardoi	64459800	3470670	6445980	3736800	1880078
35	Hathras	21902400	1131930	2190240	1447875	638820
36	Jalaun	20363400	1112940	2036340	1451250	593933
37	Jaunpur	68752800	3754620	6875280	4519800	2005290
38	Jhansi	23538600	1192500	2353860	1337850	686543
39	Jyotiba Phule Nagar	27361800	1438290	2736180	1473525	798053
40	Kannauj	25239600	1346400	2523960	1499175	736155
41	Kanpur Dehat	30067200	1602000	3006720	1721925	876960
42	Kanpur Nagar	29305800	1525860	2930580	1863000	854753
43	Kasganj	22566600	1162710	2256660	1813725	658193
44	Kaushambi	26746200	1446030	2674620	1618650	780098
45	Kushinagar	60539400	3286080	6053940	3719250	1765733
46	Lakhimpur Kheri	65075400	3474630	6507540	3553200	1898033
47	Lalitpur	16945200	924750	1694520	1025325	494235
48	Lucknow	26487000	1383660	2648700	2056050	772538
49	Maharajganj	43999200	2403540	4399920	2763450	1283310
50	Mahoba	12020400	630270	1202040	766800	350595
51	Mainpuri	32254200	1722060	3225420	1785375	940748
52	Mathura	27410400	1404360	2741040	1916325	799470
53	Mau	34263000	1795770	3426300	2221425	999338
54	Meerut	30666600	1570050	3066660	1875150	894443
55	Mirzapur	35704800	1941840	3570480	2307825	1041390
56	Moradabad	36887400	1900440	3688740	2371275	1075883
57	Muzaffarnagar	38685600	1922130	3868560	2202525	1128330
58	Pilibhit	25855200	1372500	2585520	1680075	754110
59	Pratapgarh	56019600	3046590	5601960	3168450	1633905
60	Prayagraj	81550800	4356630	8155080	4504275	2378565
61	Raebareli	46510200	2536110	4651020	2695275	1356548
62	Rampur	29905200	1541970	2990520	2147850	872235
63	Saharanpur	45295200	2426400	4529520	2932200	1321110
64	Sambhal	32319000	1778130	3231900	1793475	942638
65	SANTKABIR NAGAR	32367600	1746360	3236760	1786725	944055

66	Sant Ravidas Nagar	23927400	1265760	2392740	1398600	697883
67	Shahjahanpur	49053600	2615220	4905360	2807325	1430730
68	Shamli	15681600	869850	1568160	920700	457380
69	Shrawasti	20395800	1124190	2039580	1032075	594878
70	Siddharth Nagar	50106600	2686680	5010660	2932200	1461443
71	Sitapur	65934000	3588120	6593400	3922425	1923075
72	Sonbhadra	31006800	1581300	3100680	1766475	904365
73	Sultanpur	43302600	2368530	4330260	2449575	1262993
74	Unnao	45651600	2423880	4565160	2915325	1331505
75	Varanasi	37794600	1915830	3779460	2951775	1102343
	Total	**2812044600**	**150143850**	**281204460**	**170847900**	**82017987**
	Rs. in Lakh	**28120.45**	**1501.44**	**2812.04**	**1708.48**	**820.18**

Srl. No.	Districts	Mother Group Meeting	Supervision Cost to ASHA Facilitator	Incentive to ASHA Facilitator	BCPM Qtrly Meeting
	FMR Code	HSS.3.159.ASHA.6	HSS.3.159.ASHA.10	HSS.3.159.ASHA.2	HSS.3.159.OOC.4
	Total	58150710	467318160	110339010	1230000
1	Agra	0.00	6998400	1652400	64500
2	Aligarh	0.00	8339760	1969110	51000
3	Ambedkar Nagar	0.00	6998400	1652400	0
4	Amethi	0.00	6590160	1556010	0
5	Auraiya	0.00	3732480	881280	0
6	Ayodhya	1917270.00	6648480	1569780	91500
7	Azamgarh	0.00	11605680	2740230	72000
8	Baghpat	0.00	3032640	716040	0
9	Bahraich	2784780.00	9331200	2203200	0
10	Ballia	0.00	8514720	2010420	0
11	Balrampur	2087370.00	5773680	1363230	0
12	Banda	0.00	4490640	1060290	36000
13	Barabanki	2866590.00	9506160	2244510	0
14	Bareilly	2666520.00	8398080	1982880	78000
15	Basti	0.00	6823440	1611090	55500
16	Bijnor	0.00	8981280	2120580	0
17	Budaun	2383020.00	7523280	1776330	0
18	Bulandshahar	0.00	6706800	1583550	0
19	CHANDAULI	1636200.00	5715360	1349460	0
20	Chitrakoot	750870.00	2507760	592110	0
21	Deoria	0.00	8573040	2024190	0
22	Etah	1389960.00	4374000	1032750	0
23	Etawah	0.00	4024080	950130	0
24	Farrukhabad	1303290.00	4374000	1032750	0
25	Fatehpur	2004750.00	6765120	1597320	0
26	Firozabad	0.00	4898880	1156680	0
27	Gautam Buddh Nagar	0.00	2274480	537030	0
28	Ghaziabad	0.00	1982880	468180	0
29	Ghazipur	0.00	10614240	2506140	0
30	Gonda	2861730.00	9331200	2203200	66000
31	Gorakhpur	0.00	10555920	2492370	91500
32	Hamirpur	0.00	2741040	647190	0
33	Hapur	0.00	2332800	550800	0
34	Hardoi	3222990.00	10380960	2451060	0
35	Hathras	0.00	3499200	826200	0
36	Jalaun	0.00	3615840	853740	0
37	Jaunpur	0.00	12130560	2864160	0
38	Jhansi	0.00	3790800	895050	34500
39	Jyotiba Phule Nagar	0.00	4140720	977670	0
40	Kannauj	1261980.00	4374000	1032750	0
41	Kanpur Dehat	0.00	4957200	1170450	0
42	Kanpur Nagar	0.00	4957200	1170450	75000
43	Kasganj	1128330.00	3382560	798660	0
44	Kaushambi	1337310.00	4840560	1142910	0
45	Kushinagar	0.00	9914400	2340900	0
46	Lakhimpur Kheri	3253770.00	10380960	2451060	0
47	Lalitpur	0.00	2916000	688500	0
48	Lucknow	0.00	4548960	1074060	142500
49	Maharajganj	2199960.00	7814880	1845180	0
50	Mahoba	0.00	2041200	481950	0
51	Mainpuri	0.00	5423760	1280610	0
52	Mathura	0.00	4490640	1060290	0
53	Mau	0.00	5482080	1294380	0

54	Meerut	0.00	4957200	1170450	69000
55	Mirzapur	1785240.00	6298560	1487160	39000
56	Moradabad	0.00	6473520	1528470	58500
57	Muzaffarnagar	0.00	5773680	1363230	0
58	Pilibhit	1292760.00	4490640	1060290	0
59	Pratapgarh	0.00	8922960	2106810	0
60	Prayagraj	4077540.00	12772080	3015630	87000
61	Raebareli	0.00	7814880	1845180	0
62	Rampur	1495260.00	5015520	1184220	0
63	Saharanpur	0.00	7873200	1858950	37500
64	Sambhal	0.00	5190480	1225530	0
65	SANTKABIR NAGAR	1618380.00	5073840	1197990	0
66	Sant Ravidas Nagar	0.00	3965760	936360	0
67	Shahjahanpur	2452680.00	7581600	1790100	0
68	Shamli	0.00	2682720	633420	0
69	Shrawasti	1019790.00	3557520	839970	0
70	Siddharth Nagar	2505330.00	7348320	1735020	0
71	Sitapur	3296700.00	11605680	2740230	0
72	Sonbhadra	1550340.00	4548960	1074060	0
73	Sultanpur	0.00	7406640	1748790	0
74	Unnao	0.00	7698240	1817640	0
75	Varanasi	0.00	6123600	1445850	81000
	Total	**58150710**	**467318160**	**110339010**	**1230000**
	Rs. in Lakh	**581.51**	**4673.18**	**1103.39**	**12.30**

Srl. No.	Districts	ASHA BIMA	Printing of ASHA diary	Printing of ASHA Module	Replanishment of ASHA HBNC Kit
	FMR Code	HSS.3.159.ASHA.4	HSS.3.159.IEC.2	HSS.3.159.IEC.3	HSS.3.159.DI.3
	Total	49168379	28601388	4557213	17671320
1	Agra	935944	466043	74003	287400
2	Aligarh	899084	494708	78728	325080
3	Ambedkar Nagar	702065	399735	63720	272160
4	Amethi	556427	318150	52290	198480
5	Auraiya	430839	225698	36068	135480
6	Ayodhya	751772	390758	62438	264720
7	Azamgarh	1208018	675045	108360	400440
8	Baghpat	320182	172620	27810	99480
9	Bahraich	1094553	566685	90045	389520
10	Ballia	899003	516915	82710	300720
11	Balrampur	147755	421470	65880	195120
12	Banda	510332	277200	44145	169200
13	Barabanki	927191	583065	92655	368640
14	Bareilly	940972	541170	85815	300000
15	Basti	771557	388238	62618	273120
16	Bijnor	965185	534398	84758	339840
17	Budaun	840688	483683	76928	275160
18	Bulandshahar	578637	460215	73080	258600
19	CHANDAULI	595129	333585	53280	207960
20	Chitrakoot	243297	152775	24435	100440
21	Deoria	285476	499275	80100	313080
22	Etah	481982	282083	44753	174360
23	Etawah	316370	235463	37823	130320
24	Farrukhabad	457564	265230	42210	166920
25	Fatehpur	699127	408083	65273	235920
26	Firozabad	626087	280980	45135	147120
27	Gautam Buddh Nagar	219429	129150	20745	74040
28	Ghaziabad	293846	134348	21263	78480
29	Ghazipur	1095698	611258	97673	345120
30	Gonda	1052752	581648	92453	341400
31	Gorakhpur	1240866	661343	105188	425520
32	Hamirpur	322234	168998	27203	102840
33	Hapur	321484	141750	22590	90240
34	Hardoi	843815	654728	104108	398880
35	Hathras	442530	222390	35415	150120
36	Jalaun	378324	207743	33683	146880
37	Jaunpur	1145491	701190	112365	427800
38	Jhansi	477943	239085	38160	143640
39	Jyotiba Phule Nagar	535745	277200	43605	151800
40	Kannauj	505570	257198	41198	154320
41	Kanpur Dehat	542878	305708	48848	199560

42	Kanpur Nagar	815589	298305	47790	184800
43	Kasganj	366595	228533	36203	141720
44	Kaushambi	543667	273105	43830	186840
45	Kushinagar	828328	615353	97448	318480
46	Lakhimpur Kheri	1185586	660713	104423	415680
47	Lalitpur	253438	172620	27720	109560
48	Lucknow	849830	269798	43133	186960
49	Maharajganj	820044	448875	71775	329640
50	Mahoba	200972	122378	19598	71640
51	Mainpuri	330761	328230	52290	167880
52	Mathura	451802	278618	44618	179640
53	Mau	651218	347918	55148	227160
54	Meerut	676658	311535	49950	204000
55	Mirzapur	591241	364140	58500	244080
56	Moradabad	754925	376110	59805	243480
57	Muzaffarnagar	612263	391703	61628	237600
58	Pilibhit	406010	263498	42053	172320
59	Pratapgarh	625817	568733	90428	395520
60	Prayagraj	1527152	827348	130748	472920
61	Raebareli	858681	473288	76073	312840
62	Rampur	577411	304290	48150	204000
63	Saharanpur	996268	461633	73508	301680
64	Sambhal	538607	328230	51975	211920
65	SANTKABIR NAGAR	525496	328388	52043	201600
66	Sant Ravidas Nagar	425029	243338	38633	159120
67	Shahjahanpur	623203	497385	78930	313560
68	Shamli	279542	159705	25560	108360
69	Shrawasti	371720	207900	33120	127680
70	Siddharth Nagar	709317	506993	79988	275760
71	Sitapur	1117757	672368	107573	400920
72	Sonbhadra	483062	313740	49410	156720
73	Sultanpur	817155	441000	70470	281880
74	Unnao	820346	464625	74475	317040
75	Varanasi	929048	383985	60660	248400
	Total	**49168379**	**28601388**	**4557213**	**17671320**
	Rs. in Lakh	**491.68**	**286.01**	**45.57**	**176.71**

Srl. No.	Districts	SHC Register	Uniform	ASHA Award	Total
	FMR Code	**HSS.3.159.IEC.7**	**HSS.3.159.ASHA.8**	**HSS.3.159.ASHA.9**	**4450455407**
	Total	**1127850**	**163436400**	**52596180**	**71167963**
1	Agra	14850	2663100	977940	76216065
2	Aligarh	13650	2826900	957420	61810715
3	Ambedkar Nagar	15750	2284200	701460	50124880
4	Amethi	13950	1818000	567180	34846743
5	Auraiya	4350	1289700	408420	62264666
6	Ayodhya	16050	2232900	700200	104808886
7	Azamgarh	31650	3857400	1181160	26814067
8	Baghpat	7800	986400	333720	89738058
9	Bahraich	45750	3238200	982620	79422038
10	Ballia	24150	2953800	905940	64687393
11	Balrampur	19650	2408400	724410	42519475
12	Banda	4950	1584000	497970	91853209
13	Barabanki	21000	3331800	997650	84998407
14	Bareilly	15750	3092400	1027080	60345453
15	Basti	20100	2218500	693450	82099219
16	Bijnor	18450	3053700	943740	76098479
17	Budaun	18750	2763900	881820	70087790
18	Bulandshahar	19200	2629800	869310	52917454
19	CHANDAULI	6300	1906200	586440	24192545
20	Chitrakoot	4050	873000	280080	76428709
21	Deoria	19350	2853000	874980	44454018
22	Etah	9750	1611900	501480	36244746
23	Etawah	6450	1345500	459630	42070632
24	Farrukhabad	9450	1515600	498060	64825486
25	Fatehpur	12600	2331900	719460	43934402
26	Firozabad	10200	1605600	558900	20087357
27	Gautam Buddh Nagar	6600	738000	263430	20718545
28	Ghaziabad	3900	767700	319860	94459487
29	Ghazipur	29700	3492900	1043730	91779286
30	Gonda	37500	3323700	1015920	101423437
31	Gorakhpur	27000	3779100	1217610	26142290
32	Hamirpur	4350	965700	323640	21911959
33	Hapur	6300	810000	308520	102946979
34	Hardoi	24600	3741300	1131210	

35	Hathras	7500	1270800	411930	**34177350**
36	Jalaun	5100	1187100	390960	**32377233**
37	Jaunpur	37350	4006800	1219860	**108553366**
38	Jhansi	4500	1366200	468540	**36567771**
39	Jyotiba Phule Nagar	10200	1584000	515430	**42044218**
40	Kannauj	8550	1469700	471510	**40922066**
41	Kanpur Dehat	8250	1746900	536670	**46791269**
42	Kanpur Nagar	6750	1704600	778320	**46518797**
43	Kasganj	7050	1305900	413280	**36266719**
44	Kaushambi	14400	1560600	477450	**43686270**
45	Kushinagar	36300	3516300	1038780	**94070692**
46	Lakhimpur Kheri	31500	3775500	1140750	**103908745**
47	Lalitpur	2550	986400	312390	**26553208**
48	Lucknow	8400	1541700	790650	**42803939**
49	Maharajganj	27000	2565000	770580	**71742354**
50	Mahoba	2850	699300	232920	**18842913**
51	Mainpuri	9000	1875600	579150	**49975084**
52	Mathura	22050	1592100	540450	**42931803**
53	Mau	7350	1988100	613710	**53372897**
54	Meerut	9600	1780200	713610	**48015106**
55	Mirzapur	14700	2080800	660690	**58190446**
56	Moradabad	12150	2149200	726660	**58306558**
57	Muzaffarnagar	7650	2238300	734670	**59227869**
58	Pilibhit	14850	1505700	470250	**41965776**
59	Pratapgarh	24450	3249900	986400	**86441523**
60	Prayagraj	28950	4727700	1572840	**130185258**
61	Raebareli	14100	2704500	851580	**72700275**
62	Rampur	13800	1738800	544860	**48584086**
63	Saharanpur	10950	2637900	914310	**71670329**
64	Sambhal	14850	1875600	600840	**50103175**
65	SANTKABIR NAGAR	13200	1876500	575370	**51544307**
66	Sant Ravidas Nagar	10350	1390500	433620	**37285093**
67	Shahjahanpur	16950	2842200	895320	**77904163**
68	Shamli	5250	912600	293580	**24598427**
69	Shrawasti	2700	1188000	362970	**32897893**
70	Siddharth Nagar	19200	2897100	868680	**79143291**
71	Sitapur	35700	3842100	1220310	**107000358**
72	Sonbhadra	14850	1792800	554670	**48898232**
73	Sultanpur	21150	2520000	772380	**67793423**
74	Unnao	13950	2655000	845550	**71594336**
75	Varanasi	7950	2194200	839250	**59857951**
	Total	**1127850**	**163436400**	**52596180**	**4450455407**
	Rs. in Lakh	**11.28**	**1634.36**	**525.96**	**44504.55**